

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 1992

खण्ड-1, अंक-1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 9 मार्च, 1992

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)18
घोशणाये	(1)1

क. अध्यक्ष द्वारा	
1. सभापतियों के नामों की सूची	(1)28
2. याचिका समिति	(1)28
ख. सचिव द्वारा	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1)29
विजनैस ऐडवाजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पर टिप्पणी करना	(1)29
वाक आउट	(1)39
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पर मतदान	(1)40
सदन की मेज पर रखे गए पुनः रखे गए कागज पत्र	(1)40
वर्ष 1991-92 के सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेट्स सैकिन्ड इन्स्टालमेंट पर टिप्पणी करना	(1)42
ऐस्टिमेट्स कमेटी की वर्ष 1991-92 के सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेट्स (सैकिन्ड इन्स्टालमेंट) पर टिप्पणी करना	(1)42

हरियाणा विधान सभा

सोमवार , 9 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 15.32 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ई। वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker: Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 p.m today, the 9th March, 1992, under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

“माननीय अध्यक्ष महोदय एवम सदस्यगण”

मुझे हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। आपको तथा राज्य के सभी लोगों को मैं अपनी हार्दिक भुभकामानाए देता हूँ।

2. हरियाणा राज्य को बने 2.5 वर्ष हो गए हैं और हम एक नवम्बर, 1991 से 31 अक्टूबर 1992 तक रजत जयन्ती वर्ष मना रहे हैं। प्रगति की तीव्र गति तथा समयबद्ध ढंग से सामाजिक एवम आर्थिक विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सरकार ने 'विकास के नए सकल्प' नाम से 25 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है। आपसी भाईचारे और जन सहायेग के वातावरण द्वारा प्रजातान्त्रिक संस्थाओं को मजबूत करके "गान्धि और विकास" इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के हाल ही में हुए चुनाव इस दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम है। निकट भविष्य में पंचायतों समितियों के चुनाव भी करवाये जा रहे हैं।

3. माननीय सदस्यगण, मैं अपनी सरकार और हरियाणा की जनता की ओर से पंजाब के अपने भाईयों को, आतंकवादियों के सतत भय के बावजूद अपने मताधिकार का बिना किसी डर के प्रयोग करे प्रजातान्त्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार बनाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं भारत के प्रधान मंत्री, श्री पी०वी० नर सिन्हा राव को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने पंजाब की जनता को उचित मार्गदर्शन और परामर्श दिया, जिससे यह स्पष्ट रूप से राष्ट्रीयता और प्रजातन्त्र में अपनी आस्था को व्यक्त कर सकी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे राज्य तथा पंजाब के बीच सभी बकाया मामले, श्री बेहन्त सिंह, जो कि एक देशभक्त और अनुभवों से युक्त नेता हैं, के नेतृत्व में चुनी हुई सरकार के साथ मंत्रीपूर्ण ढंग से निपटा

लिए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी जल्दी ही हरियाणा के खेतों तक पहुंचे जाएगा।

4. वर्ष 1991 के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति भ्रान्तिपूर्ण बनी रही और किसी प्रकार की नियोजित अवस्था भी नहीं हुई तथा राज्य भर में विधार्थियों, श्रमिकों या किसानों को किसी प्रकार की आन्दोलनकारी गतिविधियों भी नहीं हुई। साम्प्रदायिक स्थिति भ्रान्तिपूर्ण बनी रही तथा हरिजन और कमजोर वर्गों के लोग अब अपने आपको पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं।

परन्तु पड़ोसी राज्य के आतंकवाद का साया हमारे राज्य पर भी पड़ा। दिनांक 9 नवम्बर, 1991 को सिरसा में 14 निर्दोश व्यक्तियों का निर्मम हत्या और दिनांक 5 दिसम्बर, 1991 को टोहाना में 27 व्यक्तियों के नरसंहार ने हमारे राज्य की भ्रान्तिप्रिय जनता को अत्यधिक मानसिक पीड़ा पहुंचाई है। आतंकवादियों ने मेरी सरकार के एक उच्च अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों की भी हत्या की। नरवाना के निकल रेल में बम विस्फोट की दुर्घटना ने पांच लोगों की जानें लीं। ये अत्यन्त निन्दनीय कृत्य हैं। यद्यपि किसी परिवार को उसके प्रियजनों की मृत्यु की कभी भरपाई नहीं की जा सकती, किन्तु मेरी सरकार ने साम्प्रदायिक और आतंकवादी गतिविधियों के विनाश के लिए परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1 पचास हजार रूपए से बढ़ा कर एक लाख रूपए कर दी है।

आतकवादियों ने इन कायरतापूर्ण कार्यों से मेरी सरकार के निचय को उनका डटकर मुकाबला करने के लिए ओर भी बल मिला है। स्थिति का सामाना करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। पुलिस बल को आधुनिक स्वचलित हथियार देने के इलावा गुप्तचर ढांचे को सुदृढ किया गया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस की गति बढा दी गई है नाजूक स्थिति का सामना करने के लिए 4 कमान्डो कम्पनियों की भर्ती का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिन्हे प्रशिक्षण के पश्चात जरूरत वाले क्षेत्रों में ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। लगभग, 1600 सिपाहियों की भर्ती करके पुलिस बल में प्रायः सभी खाली स्थानों को भर लिया गया है।

कुछ समय पहले, कुछ गुमराह लोगों ने हमारी पुलिस को भडकाने और अनुशासन हीनता पैदा करने की कोशिश की। मुझे इस बात की प्रसन्ना है कि मेरा सरकार द्वारा दक्षतापूर्ण और होशियारी से व्यवस्था करने के कारण पुलिस बल उकसाने वालों के बहकावे में नहीं आया और अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहा।

मेरा सरकार ने पुलिस बल के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। विशेष अनुग्रह की राशि एक लाख रूपए से बढाकर दो लाख रूपए कर दी गई है। पहली बार पुलिस में उपअधीक्षक स्तर तक के सभी कर्मियों को राशन भत्ता स्वीकृत किया गया है और हरियाणा सांख्यिक पुलिस बल के लिए भी यह राशि बढा दी गई है। उप अधीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को

दिया जाने वाला किट अनुरक्षण भता बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है। पुलिस बल को मकानों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए आगामी पांच वर्षों के दौरान सरकार ने पांच करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का निर्णय लिया है। नए थानों के निर्माण तथा पुराने थानों की मरम्मत के लिए अपेक्षित राशि के प्रावधान में वृद्धि की गई है।

मेरी सरकार ने डाक्टरों के सेवा सम्बन्धी मामलों में सुधार लाने के लिए उन्हें कई प्रकार के लाभ देने का निर्णय किया है। डाक्टरों के नान प्रैक्टिसिंग भते की राशि को 600 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया गया है, जो कि उनके मूल वेतन का हिस्सा समझा जाएगा, जिस पर महगाई भता भी मिलेगा। मेरी सरकार ने सभी डाक्टरों को प्रथम क्षेणी का दर्जा दे दिया है।

5. मेरी सरकार ने राज्य के त्रिव आर्थिक विकास तथा योजनागत प्रोग्रामों को अमली रूप देने के लिए भरसक प्रयत्न किए। वर्ष 1992-93 की योजना के लिए 830 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जो चालू वर्ष के स गोधित परिव्यय से लगभग 15 प्रति त अधिक है मुख्य क्षेत्र, जिनको यह योजना, समर्पित की गई, वे हैं— सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएँ 36.8 प्रति त, विधुत 25.3 प्रति त, सिचाई तथा बाढ नियत्रण 13.9 प्रति त तथा कृषि एवम सम्बद्ध कार्यकलाप 8.6 प्रति त।

6. राज्य सरकार सामाजिक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखे हुए है। राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से समाज के निर्धन वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा हेतु दिनांक 1 जुलाई, 1991 से एक नई वृद्धावस्था पेंशन योजना आरम्भ की गई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना में एक विस्तृत आर्थिक कसौटी निर्धारित की गई है। पेंशन प्राप्ति की पात्रता के लिए आयु की सीमा को 65 वर्ष से घटा कर 60 वर्ष दिया गया है। नई स्कीमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या में औसतन 45 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1991-92 के दौरान इस योजना पर 64 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि खर्च होने का अनुमान है जिससे 7.40 लाख लाभभोगियों को फायदा होगा। दिनांक 2 अक्टूबर 1991 से विकलांग व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं तथा विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की रकम 75 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिमास कर दी गई है। वर्ष 1991-92 के दौरान विकलांगों की पेंशन स्कीम के तहत 474.74 लाख रुपये खर्च करके 33,500 लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। निराश्रित महिलाओं तथा विधवाओं की पेंशन स्कीम के तहत 20 करोड़ 4 लाख रुपये, 1,39,350 व्यक्तियों पर खर्च किए जाने की सम्भावना है। सरकार ने नेत्रहीनों को एक ही स्थान पर आधुनिक सस्थागत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पानीपत में एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

मेरी सरकार महिलाओं के कल्याण तथा उनके समूचे व्यक्तित्व और उनकी शिक्षा, उनकी सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है ताकि वे सामाजिक ढांचे तथा विकास की प्रक्रिया में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। हरियाणा की सभी शिक्षा संस्थाओं में लड़कियों के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा नि:शुल्क दी गई है। अब निर्धन परिवारों को छात्राओं का मुफ्त किताबें, वर्दिया तथा लेखन सामग्री भी दी जा रही है।

रजत जयन्ती वर्ष में ग्रामीण महिलाओं के लिए कम लागत वाले एक लाख भौचालयों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में करनाल में महिलाओं सम्बन्धी एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

समाज कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में महिला एवम बाल विकास को विभिन्न स्कीमों को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक अलग महिला एवम बाल विकास निदेशालय की स्थापना की गई है। भाहरो क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न जिला मुख्यालयों पर 11 कामकाजी महिला होस्टल बने हुए हैं और जीन्द में ऐसे एक होस्टल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है सरकार आवश्यकताओं और एक चरण बद्ध ढंग से, इस सुविधा को सभी जिलों एवम ब्लॉक मुख्यालयों तक पहुंचाने की विचार रखती है।

एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के माध्यम से पिता-माताओं व दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। अनुपूरक पोषण कार्यक्रम में गुणवत्ता और मात्रा की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान प्रति व्यक्ति वार्षिक खर्च 207 रूपए से बढ़ाकर 255 रूपये कर दिया गया है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत अधिकाधिक बच्चों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राज्य में चल रही 92 एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं के इलावों वर्ष 1992-93 में 8 नई परियोजनाएं शुरू करने का सरकार का प्रस्ताव है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के लिए 2617.29 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।

7. कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों प्राप्त की गई है। जुलाई और अगस्त, 1991 के दौरान सूखा पड़ने के बावजूद खरीफ खाधान्न उत्पादन 21.92 लाख टन हुआ। धान की उत्पादकता अब तक सब से अधिक रही, जिसके परिणामस्वरूप 17.48 लाख टन चावल का उत्पादन हुआ है। रबी की फसल की अच्छी दशा को देखते हुए 65 लाख टन गेहूँ और 7 लाख टन तौरिया सरसों का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है।

सरकार ने कृषि के लिये अपेक्षित महत्वपूर्ण पदार्थ किसानों को उनकी दहलीज तक पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्था की। चालू खरीफ के दौरान किसानों को 0.37 लाख क्विंटल प्रमाणित

बीज, 2.37 लाख टन रासायनिक उर्वरक और 5.25 लाख लिटर धान खरपतवारना एक बेचे गए। कृषि से सम्बन्धित इन अपेक्षित पदार्थों की अधिक लागत के प्रभाव को कम करने के लिए धान पर 25 प्रति टन और मक्की, बाजरा और बिनौली पर 400 रु० प्रति क्विंटल की दर से आर्थिक सहायता दी गई। धान खरपतवारना एक और जिंक सल्फेट 20 प्रति टन आर्थिक सहायता पर बाटा गया। रबी मौसम के लिए अपेक्षित पदार्थों की सप्लाई के लिए विस्तृत प्रबन्ध किए गए थे। विभिन्न रबी फसलों के 1.55 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए। गेहूँ पर 25 प्रति टन की दर पर और चने तथा तोरिया सरसों के बीजों पर 300 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर आर्थिक सहायता दी गई। चालू रबी के दौरान उर्वरकों पोशक तत्वों की 4.34 लाख टन खपत होने के आगे है जबकि गत रबी मौसम के दौरान 3.78 लाख टन खपत हुई थी।

सरकार ने पिछले वर्ष 23000 हैक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर सूरजमुखी की खेती करने की एक महत्वकांक्षी योजना बनाई है। वर्ष 1992-93 के दौरान 102.40 लाख टन खाधानों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके खरीफ के लिए 29.30 लाख टन और रबी के लिए 73.10 लाख टन का लक्ष्य शामिल है। गन्ने, कपास और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः 8.80 लाख टन गुड़, 13 लाख गांठे और 7.76 लाख टन निर्धारित किया गया है। तदनुसार 2.11 लाख क्विंटल

प्रमाणित बीज और 7.115 लाख टन रासायनिक उर्वरक पोशक तत्वों के रूप में वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सरकार को राज्य में बागवानी के महत्व का भी अहसास है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए 40 करोड़ रुपये और वर्ष 1992-93 के लिए 6 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि वर्ष 1991-92 में इसके लिए 2.10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। बागवानी उत्पादन की मार्केटिंग प्रोसेसिंग सम्बन्धी कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने कुण्डली में एक अति आधुनिक केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

मेरी सरकार ने, खरीफ की फसले धान, बाजरा, कपास, गन्ने और रबी की फसले चना, गेहूँ, सूरजमुखी तथा तिलहन की अधिकतक प्रति हैक्टयर उपज लेने तथा का ताकारी के नवीन ढंगों को इस्तेमाल करने वाले किसानों को, जिला तथा राज्य स्तर पर इनाम तथा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने का निर्णय किया है। जिला स्तर पर इनाम तथा प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने का निर्णय है। जिला स्तर पर उपरिलिखित प्रत्येक फसल पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले किसानों को क्रमशः 10000 रुपये, 5000 रुपये तथा 3000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रत्येक फसल के लिए 20000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।

इसी प्रकार बेर, आम, अगुर, सिटरस अर्थात् किन्नु/माल्टा तथा आलू, टमाटर, प्याज, मटर उगाने वाले तथा का ताकारी के नवीन ढंग को उपायोग में लाने वाले प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थानों पर आने वाले किसानों को क्रम 1 10000, 5000 तथा 3000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फलों और सब्जियों की प्रत्येक फसल के लिए राज्य के सर्वोत्तम उत्पादक को 20000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।

8. रजत जयन्ती समारोह के उपलक्ष्य में किसानों के हित के लिए कृषि, ग्रामीण विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी देने के उद्देश्य से 28 फरवरी 1992 को रोहतक में हमारा खेत हमारा गांव नाम से कृषि तथा ग्रामीण विकास पर एक राज्य स्तरीय विकास चौपाल का आयोजन किया गया। "कृषि में विविधता", "कृषि में सहकारिता", कृषि में प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स", "एकीकृत का ताकारी दृष्टिकोण", "ग्रामीण सफाई तथा विकास", और ग्रामीण विकास में उद्योगों की भूमिका" के विषयों पर सामूहिक परिचर्चा की गई। मेरी सरकार का नारा है "हर खेत में हरियाली—हर घर हर गांव में खुशहाली"।

9. सरकार, राज्य में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। मेरी सरकार पंजाब में सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना को भीघ्न पूरा करने के लिए भारत सरकार पर जोर डाल रही है। इस बीच सरकार उचित जल, प्रबन्ध, जल

सरक्षण और सिचाई साधानो के अनुरक्षण द्वारा सिचाई को बढाने का प्रयास कर रही है। पानी के वहन मे होने वाले नुकासान को कम करने के लिए अनेक स्कीमे अपनाई गई। विधामान जलमार्गो का 12.14 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र जून से दिसम्बर 1991 तक पक्का कर दिया गया तथा 627 किलोमीटर और पक्के खालो का निर्माण भी यिका गया। इस प्रकार बचाए गए पानी से 10000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिचाई की जा सकेगी।

किसानो की सुविधा के लिए मेरी सरकार ने भू राजस्व रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण करने का फैसला किया है। यह पद्धति पहली बार जिला रिवाडी मे हाल मे भुरु की गई है। धीरे धीरे यह सुविधा अन्य जिलो मे भी पहुचाई जाएगी।

10. मेरी सरकार, राज्य के लिए पर्याप्त बिजली की सप्लाई की आव यकता के प्रति सचेज है। इसकी उपलभ्यतो को बढाने के लिए वि ेश अभियान भारू किया गया था और गत वर्ष की अपेक्षा 25 प्रति ात से 30 प्रति ात तक की वृद्धि करने मे सफलता प्राप्त की। पिछले वर्ष 315 लाख यूनिट के मुकाबले मे इस वर्ष 2 अगस्त 1991 तक 351 लाख यूनिट की रिकार्ड सप्लाई की गई। कुल उत्पादित बिजली का 58.5 प्रति ात ग्रामीण क्षेत्रो मे उपभोग्तओ को बेचा गया जबकि गत वर्ष के दौरान उन्हे 54.5 प्रति ात बिजली बेची गई थी। इसके अतिरिक्त सरकार ने अधिक मांग को पूरा करने के लिए 20000 नलकूपो को बिजली देने का निर्णय किया है। बिजली के प्रभावी वितरण के लिए 220 के0वी0

क्षमता वाला एक, 132 के0वी0 क्षमता वाले चार, 66 के0वी0 क्षमता वाले दो और 33 के0वी0 क्षमता वाले पांच उप स्टे अन चालू किए गए। पानीपत तथा फरीदाबाद में ताप बिजली सयत्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री ने निकट भविष्य में फरीदाबाद में गैस आधारित ताप सयत्र की आधार ि ाला रखने के लिए सहमति दी है।

11. सहकारिता की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वि ेशकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार ने कर्जों की अदायगी न कर सकने वाले कर्जदारों पर बढ़ते हुए ब्याज के बोझ को ध्यान में रखते हुए उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम को लागू किया। इस स्कीम के तहत 1 जुलाई 1984 के प चात दिए गए कर्जों पर उपचित ब्याज की राि ि कर्जदारों को प्रोत्साहन के रूप में दी गई, ब ीर्त कि वे 31 जनवरी, 1992 तक अपने बकाए वापिस कर दें। यह स्कीम 2 अक्तूबर, 1991 से कार्यान्वित की गई आपैर इससे 320066 लाभभोगियों को 50.43 करोड रूपए की राहत दी गई। इस नई स्कीम ने करो के लेन देन की प्रणाली को पुन क्रियाि ाल कर दिया है। अब किसान फिर से बेहतर कृषि उपज के लिए हरियाणा के सहकारी बैंको से कर्ज लेने की स्थिति में हो गए हैं।

390.57 करोड रूपए को मांग के मुकाबले 268.47 करोड रूपए के अल्पावधि कर्जें वसूल किए गए। यह गत 10 वर्षों के खरीफ मौसम का एक रिकार्ड है। दीर्घावधि कर्जें योजना के अन्तर्गत 135.02 करोड रूपए की मांग के मुकाबले 55.43 करोड

रुपए की राशि वसूल की गई। इतनी अधिक वसूलो उत्पादन प्रोत्साहन स्कीम के कारण सम्भव हो पाईं ग्रामीण लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत 31 दिसम्बर, 1991 तक अल्प तथा मध्यम आवधिक कर्ज के रूप में 211.57 करोड़ रुपए के तथा दीर्घावधि कर्ज के रूप में 26.33 करोड़ रुपए के ऋण दिए गए हैं।

सरकार ने गन्ने की दर 3 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है जिससे कारखानों को 15 करोड़ रुपए तक का लाभ हुआ। कैथल, महम और भूना चीनी मिलों ने नियमित रूप से गन्ना पौडना शुरू कर दिया है जिससे सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की कूल क्षमता 9800 टी०सी०डी० से बढ़कर 17300 टी०सी०डी० हो गई है।

राज्य में सर्वश्रेष्ठ गन्ना उत्पादनकों को 21000 रुपये का नकद इनाम, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान पाने वाले को क्रम 1: 15000 और 11000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक सहकारी गन्ना मिल में ऐसे गन्ना उगाने वाले को, जिसका सबसे बढ़िया उत्पादन हो, प्रथम 11000 रुपए, द्वितीय 7000 रुपए, तृतीय को 5000 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा।

दूध का प्राप्ति मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम बसा से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति किलोग्राम बसा कर दिया गया। सिरसा में एक लाख लिटर प्रतिदिन की क्षमता वाले दूध सयंत्र का निर्माण

किया जा रहा है। जिसकी दिसम्बर 1992 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

मेरी सरकार हरियाणा के ग्रामीण विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है। पंचायतो को परिवारो नियोजन तथा छोटी बचतो के कार्यक्रम चलाने, अतिक्रमण दूर करने और महिला मण्डल स्थापित करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप हरियाणा के प्रत्येक जिले के प्रथम तीन गावों को एक लाख, पचास हजार रुपए तथा पच्चीस हजार रुपए का पहला, दूसरा और तीसरा इनाम दिया जाएगा।

हरियाणा के सभी पंचों और सरपंचों को पहचान पत्र जारी करने का भी फैसला किया गया है ताकि उनको मान्यता दी जा सके और उनकी सरकारी कार्यालयों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा करवाने के लिए पहुँच हो सके।

12. बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय हरियाणा में केवल 174 बैंक भाखसए थी जिनके कुल निक्षेप 64.10 करोड रुपए और कुल पैगि 30.27 करोड रुपय की थी। सितम्बर, 1991 तक बैंक भाखओं की सख्या 1262 हो गई है जिनके कुल निक्षेप 4332 करोड रुपए की और कुल उधार 2348 करोड रुपए के है। वर्ष 1991-92 के लिए बैंकों की वार्षिक ऋण योजनों में 10.17 लाख व्यक्तियों को 909.32 करोड रुपए का ऋण देने का लक्ष्य है। अप्रैल से सितम्बर, 1991 तक 33.9 प्रतिशत उपलब्धि हुई है। वर्ष

1991 में वाणिज्यिक और ग्रामीण बैंको को अर्थात् 40.7 प्रतिशत से कम होकर 34.6 प्रतिशत रह गया है। हरियाणा कृषिस ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989, लागू किए जाने के कारण ट्रैक्टरों, नलकूपों जैसे विभिन्न कार्यों के लिए ऋणों के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक से भी इस अधिनियम के विरुद्ध आपत्ति उठाई है। सरकार ने अगले इस अधिनियम में संशोधन किया है और वाणिज्यिक बैंको और प्रादेशिक ग्रामीण बैंको को इससे क्षेत्राधिकार से निकाल दिया है। सरकार ने बैंको से अनुरोध किया है कि वे हरियाणा में तेजी से ऋण दें। इसका प्रभाव मई, जून, 1992 तक सामने आएगा।

हरियाणा के तीन सर्वोत्तम सहकारी बैंको को सम्बद्ध सोसायटियों के सदस्यों के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ जुटाने हेतु 2 लाख, 11 लाख और 1 लाख रुपये का पहला, दूसरा और तीसरा इनाम दिया जाएगा। एक प्राथमिक भूमि विकास बैंक को भी उस द्वारा अपने भवन का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

13. जनता को सुविधा हेतु एवम प्रशासन को उसके और नजदीक लाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के जिलों का पुनर्गठन किया है। उस मण्डल कोसली, गन्नौर तथा उपतहसीले बल्लाह, बादली और चोटला दिनांक 24 जुलाई, 1991 से समाप्त कर दी गईं। इसके अतिरिक्त छ गावों को छोड़कर तसहील गोहाना को सोनीपत जिले से मिला दिया गया है। और भिवानी

जिले की सिवानी तहसील को हिसार जिले में मिला दिया गया है। हिसार जिले की उपतहसील आदमपुर का दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 से तहसील को दर्जा दे दिया गया है। क्षेत्र की जनता की अकाक्षओं के मद्देनजर जिला पानीपत का दर्जा, जो कि 24 जुलाई, 1991 को समाप्त किया गया था, 1 जनवरी, 1992 से तहसील का दर्जा दे दिया गया है। जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जिला महेन्द्रगढ़ में अटेली, जिला हिसार में बरवाला और अम्बाला जिला में अम्बाला छावनी, तीन उप तहसीले हाल में बनाई गई हैं।

सरकार ने 16 जनवरी 1980 को मेवात बोर्ड का गठन किया ताकि मेवात क्षेत्र के निर्धन लोगों की दशा में सुधार करके उनके सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। कृषि, पशुपालना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सप्लाई तथा सिंचाई आदि के क्षेत्र में विभिन्न विकास स्कीमों लागू की जा रही हैं। वर्ष 1991-92 में इन स्कीमों के लिए 330 लाख रूपए का परिव्यय प्रतापित किया गया है, जिसमें से वर्ष 1992-93 के दौरान 375 लाख रूपए की राशि खर्च की जाएगी।

14. राज्य के त्रिविध आर्थिक विकास के लिए उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरियाणा के औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल, 1992 से लागू होगी। नई नीति के अन्तर्गत अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, उदार आर्थिक सहायता भी

प्रदान की जायेगी तथा कृषि आधारित, खाद्य प्रसवकरण और इलैक्ट्रानिक उधोगो को वि ेश महत्व दिया जाएगा।

सन्तुलित क्षेत्रिय विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पिछडे क्षेत्रो का दायरा और विस्तृत कर दिया है तथा इसमे शामिल 27 विकास खण्डो की सख्या बढाकर 68 का दी गई है। पिछडे क्षेत्रो के उत्थान के लिए भारत सरकार की सहायता से 40 करोड रूपए के निवे 1 से दो विकास केन्द्र स्थापित किए जाएगे। इन विकास केन्द्रो मे उधोगो के लिए सभी प्रकार की सुविधाए होगी। विदे ी निवे 1 तथा भातप्रति ीत निर्यात उन्मुखी यूनिटो को आकर्शित करने के लिए वि ेश प्रोत्साहन दिए जाएगे जैसे कि प्लाटो का नियान्त आरक्षण, विदे ी ईक्विटी भागीदारी, रिहाय ी प्लाटो का आरक्षण, आदि 1 वश 1992-93 के दौरान राज्य मे लगभग 40 बडे तथा माध्यम यूनिट स्थापित किए जाने की आ ी है। वर्ष 1991-92 के लिए 19.86 करोड रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है और वर्ष 1992-93 के लिए इसे बढाकर 25.29 करोड रूपए कर दिया गया है।

हरियाणा मे भारतीय एवम प्रवासी भारतीय उधोग लगाने के लिए आकर्शित करने हेतू दिल्ली मे "हरियाणा मे निवे 1 के लिए अवसर" विशय पर 28 जनवरी, 1992 को एक अनतराश्ट्रीय सगोश्टी आयोजित की गई। इस सगोश्टी मे बहु राश्ट्रीय कम्पनियो के प्रतिनिधियो और उनके भारतीय सहायोगियो, प्रवासी भारतियो तथा लगभग 400 प्रमुख भारतीय उधोगपतियो ने भाग लिया।

भारत सरकार ने भी हरियाणा की नई औद्योगिक नीति की प्रशंसा की है।

15. विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के साथ-साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हरियाणा ने कई स्कीमों बनाई हैं और उन्हें अमली जामा पहनाया है। "प्रिसिजन मकेनिकल डिजाइन एण्ड एसोसिएटेड फैसिलीटीज" नामक परियोजना यू0एन0डी0पी0 की सहायता से स्थापित की जा रही है तथा इस पर संयुक्त राष्ट्र से 21 लाख अमेरिका डालर की सहायता मिलेगी तथा राज्य सरकार द्वारा 2.05 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अत्याधुनिक उच्च तकनीकी तथा निर्यात-मुखी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए गुडगाव में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बनाया जा रहा है। जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार गुडगाव में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के सहयोग टैकलोजी पार्क बनाया जा रहा है। हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस बढ़ते हुए रुझान से 450 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक माल का वार्षिक उत्पादन 1993-94 तक 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है।

16. उद्योग और अन्य एजेंसियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षित सभी डिग्री तथा डिप्लोमा धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में 24 तकनीकी संस्थान चलाए जा रहे हैं। उनकी क्षमता बढ़ाने और गुणवत्ता तथा कार्यक्षमता में सुधार लाने के विचार से 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 81 करोड़

रूप की लागत से वि व बैंक की एक परियोजना भुरू की जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत हिसार, नारनौल, उटावड फरीदाबाद तथा फरीदाबाद में चार नए पालिटैकनिक भी स्थापित किए जाएंगे।

17. उधोगों की कु ाल ि ाल्पकारों की मांग को पूरा करने और ि ाक्षित युवाओं के लिए स्वत रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतू, 8वीं योजना के दौरान तीन नई औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थाए खोली जाएगी और औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थाओं की अ ाकालिक श्रेणियों को पूर्णकालिक औद्योगिक प्र ि ाक्षण संस्थाए बना दिया जाएगा। राज्य के अलग अलग आठ स्थानों पर आव षकतानुसार “प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कार्य” स्कीम के अन्तर्गत कार्यक्रम भुरू किया जाएगा।

18. मेरी सरकार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर ढंग से चलाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समय उचित मूल्य का 6782 दुकाने (4619 ग्रामीण क्षेत्रों में और 2163 भाहरो क्षेत्रों में) अनिवार्य वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार ने रोहतक, रिवाड़ी, नारनौल, भिवानी, सिरसा और हिसार के सूखा ग्रस्त जिलों के 44 खण्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की 289 नई दुकाने खोलकर इस प्रणाली को सुदृढ बनाया है। 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले प्रत्येक गावों में ऐसी और दुकाने खोले जा रही हैं। राज्य के सभी उपभोक्ताओं

को 31 मार्च, 1992 तक नए लैमिनेटिड राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है।

19. मेरी सरकार ने राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। चालू वर्ष 1991-92 के दौरान दिसम्बर, 1991 तक 780.62 करोड़ रूपए राजस्व एकत्रित किया गया जो गत वर्ष में इसी अवधि के दौरान एकत्रित राजस्व से 26.55 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1992-93 के लिए 1260 करोड़ रूपए राजस्व एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आने वाले वर्षों में वसूली में सुधार करने के लिए कमप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा देने और गुप्तचर तथा राजस्व की चोरी रोकने वाले विंग के कार्यचालन को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वसूली बढ़ाने के प्रयत्नों को जारी रखते हुए सरकार राज्य की विकास आवश्यकताओं के प्रति भी जागरूक है। तदनुसार राज्य में डबल रोटी उद्योग को बढ़ावा देने और इस खाद्य पदार्थ के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 1 अप्रैल, 1991 से डबल रोटी को बिक्री कर से छूट दी गई प्रमाणीकृत बीजों को भी 1 अप्रैल, 1991 से बिक्री कर से छूट दी गई ताकि किसानों को कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उनका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त उद्योगों को कर संबंधी रियासतें देने के लिए कुछ कठिन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग

तथा आबकारी और कराधान विभाग की जांच चौकियों का 2 अगस्त, 1991 से विलय कर दिया गया है।

20. सरकार "2000 ईसवी तक सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयत्नी गिल है। स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली जिसमें माता एवम ि । ँ स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं शामिल हैं, में सुधार लाने के लिए सरकार ने सातवीं राष्ट्रीय परिवार कल्याण प्र ि िक्षण एवम मानव संसाधन तथा जनसंख्या सेवा परियोजना स्वीकृत की है। पहले इस परियोजना पर 28.90 करोड़ रूपए की लागत निर्धारित की गई थी, परन्तु अब भारत सरकार ने इसे स िोधित करके 42.42 करोड़ रूपए कर दिया है। इसकी 90 प्रति ित रा ि । भारत सरकार द्वारा और भोश 10 प्रति ित हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस परियोजना के अन्तर्गत जिन भवनों का निर्माण किया जाएगा उनमें 451 उपकेन्द्र, 50 सामुदायिक ि िक्षा एवम प्र ि िक्षण केन्द्र तथा 16 जिलों प्र ि िक्षण केन्द्र शामिल हैं। आ िा है कि इन सभी भवनों का निर्माण कार्य आधा वर्ष में पूरा हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण सस्थान ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह सस्थान चिकित्सा अधिकारियों के लिए इन्डव िन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त मुख्य प्र ि िक्षकों और मध्य तथा उच्च स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धकों को प्र ि िक्षण देगा।

सरकार ने 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए हैं, जिनके निकट भविष्य में स्थापित किए जाने की संभावना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के विस्तार के लिए, वर्ष 1992-93 के लिए 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रजत जयन्ती वर्ष के दौरान पोलियो उन्मूलन की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भातप्रतिगत शिक्षकों को पोलियो के टीके लगाए जाएंगे ताकि हरियाणा पोलियो रहित राज्य बनाया जा सके।

21. मेरी सरकार अधिक से अधिक लोगों को भौक्षणिक सुविधाएँ देने को उच्च प्राथमिकता देती है। चालू वर्ष के दौरान लड़कियाँ के लिए 100 प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। 29 प्राइमरी, 64 मिडल तथा 72 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें क्रमशः मिडल, उच्च तथा माध्यमिक बना दिया गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान 100 और कन्या प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है तथा 25 प्राथमिक, 25 मिडल और 10 उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाएगा जिनमें पहली से पाचवी श्रेणी में 55000 तथा छठी से आठवी श्रेणी में 60000 अतिरिक्त बच्चों को दाखिला दिया जा सकेगा। राज्य सरकार आठवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। जिला साक्षरता परियोजनाओं के माध्यम से 1997 तक भातप्रतिगत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसी एक परियोजना पानीपत जिले में भुर्रु की जा चुकी है और वर्ष 1992-93 के दौरान इसका विस्तार यमुनानगर, अम्बाला और फरीदाबाद जिलों में किया जाएगा।

22. सरकार, राज्य के खेलों के विकास को यथोचित महत्व दे रही है। हरियाणा के अनेक खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सराहनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। फरीदाबाद में राज्य खेलकुद केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और यमुनानगर में खेलकुद महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष जनवरी मास के पहले रविवार को खेलकुद दिवस मनाया जाता है।

23. सरकार ने 6745 गावों में रहने वाले हरियाणा के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। यह तथ्य उत्साहवर्धक है कि 31 जनवरी, 1992 तक 6677 गावों की स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा चुका है। अब केवल 68 गाव रह गए हैं। जिन्हें यह सुविधा 31 मार्च 1992 तक उपलब्ध कर दी जाएगी। आगामी वर्ष में सरकार उन गावों, जहाँ विभिन्न कारणों से प्रति व्यक्ति जल सप्लाई कम हो गई है, में जल सप्लाई स्तर को सुधारने पर जोर देगी और इस प्रयोजना के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना जल सप्लाई स्कीमों के लिए 2360 लाख रूपए का प्रावधान किया जाएगा, जो अधिकांशतः आवर्धन स्कीमों के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों के 341 गावों में मरुस्थल विकास योजना के तहत भारत सरकार की सहायता से 70 लिटर तक जल सप्लाई आवर्धन स्कीमों का कार्य

भरू किया गया है। और इसके लिए 1027 गावों में 110 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक जल सप्लाई स्तर का आवर्धन करने हेतु एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है जिससे घरों में कनेक्शन देना सम्भव हो जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 120 बड़े गावों में इस स्कीम को लागू किया जाएगा।

24. चालू वित्त वर्ष के राज्य की योजना में 2 करोड़ रूपए तथा भारत सरकार से 15 लाख रूपए के प्रावधान से गावों में प्रत्येक घर में हाथ से पानी डालने वाले फल तथा भौचालयों की व्यवस्था करने के लिए एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य योजना में 2.70 करोड़ रूपए का उपबन्ध किया गया है और भारत सरकार से भी उपायुक्त सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

राज्य में नगरपालिका की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर, राज्य सरकार ने नगरों में पानी की सप्लाई तथा जल मल निकास सुविधाओं में सुधार लाने के लिए चालू वर्ष में 660 लाख रूपए का प्रावधान किया है। वर्ष 1992-93 में इस राशि को बढ़ाकर 980 लाख रूपए कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1992-93 में गुडगाव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और करनाल जैसे नगरों में, जिनका जल मल यमुना नदी के पानी को दुषित कर रही है भी भारत सरकार तथा बाह्य सहायता से जल उपचार सुविधाएँ भरू की जाएगी।

25. मेरी सरकार राज्य में सड़कों तथा भवनों के निर्माण एवम सुधार को उच्च प्राथमिकता देती है। चालू वर्ष में 180 किलोमीटर नई सड़क बनाने का तथा 220 किलोमीटर सड़कों को मजबूत तथा चौड़ा करने का प्रस्ताव है। सड़कों की मरम्मत का भी एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। सड़कों की मरम्मत के लिए बजट प्रावधान को 14 करोड़ रूपए बढ़ा दिया गया है। चालू वित्त वर्ष में 9 पुलों को भी पूरा करने का प्रस्ताव है। करनाल कैथल सड़क पर एक पुल को पूरा करके यातायात के लिए खोला दिया गया। फरीदाबाद, सोनीपत में एक एक और पानीपत में दो ओर ऐसे पुलों का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। इसके अलावा सात अन्य पुलों का कार्य प्रगति पर है, जिन्हें आगामी वर्ष में पूरा किया जाएगा।

समालखा से करनाल तक राष्ट्रीय राजमार्ग न० 1 पर फौर लेनिंग का काम पुनः आरम्भ कर दिया है जिसकी जून, 1994 तक पूरा होने की सम्भावना है बल्बगढ़ से हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर फौर लेनिंग का कार्य, जो कि एन. एन. वि. वि. विकास बैंक कार्यक्रम के तहत किया जाना है का प्रारम्भ दिसम्बर, 1991 में किया गया। यह काम भी अप्रैल 1995 तक पूरा होने की उम्मीद है।

वर्ष 1992-93 में नई सड़कों के निर्माण तथा मौजूदा सड़कों की मरम्मत के अलावा राज्य के राजमार्गों तथा जिलों की

प्रमुख सडको मे सुधार और उन्हे चौडा करने का काम भी चलाया जाएगा ।

26. सरकार लोगो को आवास के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतू तथा विभिन्न प्रकार की जरूरतो के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के लिए चयनबद्ध है। रजत जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य मे सरकार ने कुछ क्षेत्रो पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया है जैसा कि भूमि अर्जन हेतू बाजरी दरो पर मुआवजा देना, निर्वासित व्यक्तियो के लिए रिहायगी प्लाट देना, विभिन्न भाहरो सम्पदाओ मे 15 नए सैक्टरो का विकास, भाहरी सम्पदाओ का रख रखाव तथा सौन्दर्यकरण, सडको की मरम्मत और गलियो मे रोनी का प्रबन्ध, कमजोर वर्गो के लिए 20 प्रति गत प्लाटो का आरक्षण तथा सरकारी कर्मचारियो के कोटे मे से 20 प्रति गत प्लाट सेवा निवृत्त कर्मचारियो के लिए आरक्षित करना। नवम्बर, 1991 मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए 1200 प्लाट आवास बोर्ड हरियाणा को 200 रूपए प्रति गज की दर पर आबटित किए गए।

27. लोगो की आवास सम्बन्धी जरूरतो को पूरा करने के लिए आवास बोर्ड, हरियाणा द्वारा वर्ष 1991-92 मे विभिन्न श्रेणियो के लगभग 2500 मकानो का निर्माण पूरा कर लेने की आशा है। वर्ष 1992-93 मे 10000 नए मकानो का निर्माण शुरू करने का लक्ष्य है, जिसमे से 5000 मकान वर्ष के दौरान पूरे हो जाएंगे सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को उनके मकानो के

निर्माण और मरम्मत के लिए कर्जे भी देती है। चालू वर्ष के दौरान 1202 लाख रूपए की राशि दी जा चुकी है और 1780 लाख रूपए की राशि और दी जाएगी।

28. हरियाणा की अर्ध व्यवस्था में पंजापालना का एक विशेष महत्व है। सरकार, राज्य में गायों और भैंसों की नस्लों को सुरक्षित रखने, उनमें सुधार लाने तथा उनका प्रसार करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक पटवार परिमण्डल में पंजा चिकित्सा डिस्पेंसरी खोलने का प्रयास किया जाएगा। अतः प्रती वर्ष 100 नई डिस्पेंसरियों खोलने का प्रस्ताव है। जबकि अब तक 40 डिस्पेंसरियों प्रति वर्ष खोले जा रही थी। प्रत्येक वर्ष में 40 डिस्पेंसरियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें हस्पताल बनाने का भी प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर तक पालिक्लीनिक या रैफरल हस्पताल स्थापित किया जाएगा। चालू वर्ष में सोनीपत और अम्बाला में ऐसे दो पालिक्लिनिकों का काम शुरू किया जायेगा। कृत्रिम गर्भाधान में और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए चिल्ड सीमन टैकनालोजी के स्थान पर फरोजन सीमन टैकनालोजी को तेजी से अपनाया जा रहा है तथा कुल 2011 पंजा चिकित्सालयों में से 1087 पहले ही इस टैकनालोजी को अपना चुके हैं।

सरकार, राज्य में मछली पालन विकास पर पर्याप्त जोर दे रही है। मछली बीज की मांग के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार नई हैचरिया स्थापित कर रही है, पुरानी

हैचरियो की क्षमता बढा रही है और मछलीपालको को आव यक प्रि ाक्षण दे रही है ।

29. मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी निवारण और रोजगार उत्पादन कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी हैं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 1992 तक 15520 परिवारो को सहायता दी गई जिसमे 7146 अनुसूचित जातियो के परिवारो और 5928 महिलओ भामिल है । ग्रामीण युवा स्वत रोजगार प्रि ाक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 2552 ग्रामीण युवाओ को, जिसमे 1090 अनुसूचित जातियो के और 1482 महिला लाभभोगी भामिल है, जनवरी 1992 तक विभिन्न कार्यों मे प्रि ाक्षण दिया गया, ताकि वे स्वत रोजगार के कार्या भुरु कर सके ।

राज्य के मरुस्थली जिलो की कठिनाईयों को कम करने के लिए 3413 हैक्टेयर भूमि पर विकास कार्य किया गया । इसी प्रकार महेन्द्रगढ तथा रिवाडी जिलो मे सूखाग्रस्त क्षेत्रो मे 3416 हैक्टेयर भूमि का विकास किया गया । ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार जुटाने के लिए जनवरी, 1992 तक 1100.99 लाख रूपए के खर्च से 18.26 लाख श्रम दिवसो का कार्य किया गया । इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 394 मकान बनाए गए और जनवरी, 1992 तक 262 मकान निर्माणधीन थे "मिलियन बेल स्कीम" के अन्तर्गत 111 कुए पूर किए गए तथा 51 कुए जनवरी, 1992 तक निर्माणधीन थे ।

30. मेरी सरकार, पर्यावरण के सुधार के लिए वृक्षारोपण और प्रदूषणरोधी उपायों को अत्यन्त महत्व देती है। चालू वर्ष के लिए 32100 हैक्टेयर भूमि पर पौधे लगाने तथा 220 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 30046 हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 271 लाख पौधे किसानों को सप्लाई किए हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए, राज्य की वार्षिक योजना के अन्तर्गत वन के लिए 2954 लाख रूपए तथा भू संरक्षण के लिए 95 लाख रूपए अनुमोदित किए गए हैं। इसी प्रकार विभिन्न परियोजनाओं पर भारत सरकार की ओर से 1698 लाख रूपये खर्च किए जाएंगे।

वर्ष 1991 में पर्यावरण विभाग द्वारा औद्योगिक यूनिटों में 41 प्रदूषित जल उपचार संयंत्र तथा 38 वायु प्रदूषण रोकथाम यन्त्र लगवाए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न इकाईयों में 84 प्रदूषित जल उपचार संयंत्र तथा 51 वायु प्रदूषण रोकथाम यन्त्र निर्माणधीन हैं। विधायकों, महाविधायकों तथा पंचायतों में पर्यावरण सम्बन्धी शिक्षा हूतू इस विषय पर सगोशिटया आयोजित करके तथा फिल्म भां दिखाकर पर्यावरण से सम्बन्धित शिक्षा का जोरदार कार्यक्रम भुरु किया जा रहा है।

31. सरकार ने राज्य के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को उचित प्राथमिकता दी है। वर्ष 1992-93 के दौरान

इस कार्यक्रम के लिए 2.15 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। दूर सबेदी तकनीक को कृषि, जल ससाधन, पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों में इस्तेमाल हेतु हिसार में दो करोड रूपये की लागत से राजकीय दूर सबेदी केन्द्र स्थापित किया गया है तथा वर्ष 1992-93 में, इसके विभिन्न कार्यों पर तीस लाख रूपये की राशि खर्च की जाएगी। खगोल विज्ञान में राज्य के लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने 2.50 करोड रूपए की लागत से कुरुक्षेत्र में नक्षत्र भाला की स्थापना करने का निर्णय लिया है।

32. हरियाणा परिवहन, यात्रा करने वाले लोगों को उन्नत बस सेवाएँ और यात्रा सम्बन्धी अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए प्रयत्नशील है। चालू वर्ष के दौरान 27.92 करोड रूपए की कुल लागत से 501 नई बसें भामिल की जाएगी तथा वर्ष 1992-93 में 33.75 करोड रूपए की लागत से 636 नई बसें प्राप्त करने का प्रस्ताव है। लम्बी दूरी वाले मार्गों पर कुशल एवं तेज गति सेवा प्रदान करने के लिए 25 से अधिक मार्गों पर सीमित स्टाप वाली "एक्सप्रेस सेवा" शुरू की जा रही है इस सेवा से सभी जिलों मुख्यलायों को दिल्ली तथा चण्डीगढ़ के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है आकर्षक और अच्छे डिजाइन वाली बसें, जिनका अब तक केवल निर्यात किया जाता था, को इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से हरियाणा राज्य परिवहन की बसें में भामिल किया गया है। हरियाणा राज्य परिवहन इस प्रकार की बस सेवा शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य है।

33. हरियाणा के विभिन्न पर्यटन स्थल, पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने रहे । वर्ष 1990-91 के दौरान लगभग 42 लाख दे गिय और 1.34 लाख विदे गी, पर्यटक हरियाणा के पर्यटन स्थलों पर पधारे । इस वर्ष एक से 15 फरवरी, 1992 तक सूरजकुण्ड के छठे गिल्प मेले मे 3 लाख पर्यटक आए जो कि एक रिकार्ड है । 23 राज्यों और संघ क्षेत्रों के 226 गिल्पकारों ने इसम भाग लिया । केटरिंग को विभिन्न कालाओं मे प्रति गत देने के लिए फरीदाबार मे केन्द्रीय सहायता से एक नई फूड क्राफ्ट इन्सीच्यूट की स्थापना की गई ।

34. मेरी सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की और वि ेश ध्यान दे रही है । इस समय 3981 स्वतन्त्रता सेनानियों को 300 रूपये मासिक की दर पर वित्तीय सहायता दी जा रही है । सरकार ने हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों और पौत्रों के लिए विभिन्न व्यवसायिक पाठयक्रमों और सरकारी सेवाओं मे भी आरक्षण किया है । उन्हें समूच हरियाणा राज्य, दिल्ली और चण्डीगढ मे हरियाणा राज्य परिवहन की बसों मे मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है । 1 अप्रैल 1992 से स्वतन्त्रता सेनानियों की लडकियों और आश्रित बहनों की भाादी के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की रागि 2000 रूपए से बढाकर 5000 रूपए कर दी गई है ।

हरियाणा, सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवरों और आश्रितों के कल्याण एवम पुनर्वास के क्षेत्र मे सदा अग्रणी

रहा। राज्य में समाज के इस वर्ग की जनसंख्या लगभग 20 लाख है। चालू वित्त वर्ष में जनवरी, 1992 तक उनके कल्याण के लिए 4.46 करोड़ रूपए की राशि खर्च की गई। वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 6.86 करोड़ रूपए की राशि का प्रवाधान प्रस्तावित है।

35. लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासन को उत्तरदायी बनाने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने तथा प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के लिए राज्य स्तर पर डिस्ट्रिक्ट चैकिंग यूनिट का गठन किया गया है जो मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की अचानक जांच करता है। प्रशासकीय सुधार विभाग ने कार्यप्रक्रिया और प्रणाली आदि का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान यूनिट का गठन किया है ताकि प्रशासनिक समस्याओं का पता लगाया जा सके और ठीक निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को ठोस सुझाव दिया जा सके।

राज्य के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। 31 जनवरी, 1992 तक संस्थान द्वारा 74 प्रशिक्षण कोर्स चलाए गए। इसी प्रकार सचिवालय प्रबन्ध स्कूल ने 681 कर्मचारियों की 25 पाठ्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित किया।

36. हरियाणा ने कानूनी सहायता कार्य में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान 42 लोग अदालतें लगाई

गई, जिनमे 15488 मामलो मे निर्णय दिए गए और 975 मोटर दुर्घटना दावा मामलो मे लगभग 4 करोड 46 लाख रूपए की राशि दी गई। आगामी वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा कानूनी सहायात समिति 100 लोक अदालते लगाने की योजना बना रही है।

37. माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार के नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण को सक्षिप्त रूप से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि इस अभिभाषण मे व्यक्त मुद्दे इस गरिमामय सदन मे परिचर्चा का उपायुक्त आधार बनेगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा राज्य के समझ आने वाली समस्याओ को सुलझाने मे आप अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे और राज के सामाजिक एवम आर्थिक विकास मे सहयोग देगे।

मैं आपको अपनी भुभकामनाए देता हू।

जय हिन्द।”

भाक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, a minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, और सम्मानित सदस्यगण, पिछले सत्र और इस सत्र के अर्से के बीच कुछ महानुभाव स्वर्ग सिधार गए है मैं उनके लिए औबिचुआरी रैजोल्यूशन पेश करता हू।

श्री सत पाल मितल, संसद सदस्य

यह सदन सदस्य श्री सतपाल मितल के 12 जनवरी, 1992 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री सतपाल मितल का जन्म पहली जनवरी, 1931 को हुआ। उन्होंने 1945-46 में स्कूल छात्रा होते हुए अपना राजनैतिक जीवन आरम्भ किया। वह 1964-70 में पजाब विधान परिषद के सदस्य रहे। वह 1966-67 में पजाब के उपमंत्री रहे। वह 1976, 1982 के राज्य सभा के लिए चुने गये तथा 1968 में राज्य सभा के लिए मनोनीत हुए। उन्होंने साम्प्रदायिक सदभावना, उच्चतर शिक्षा और महिलाओं, पिछड़ी श्रेणियों तथा अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह सांसदों की विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय सस्थाओं से संबद्ध रहे तथा उन्होंने जनता में जनसंख्या नियन्त्रण की भावना जागृत करने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की।

उनके निधन से देश में एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक सतंप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कृष्ण लाल, पजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन पजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री कृशण लाल के 19 फरवरी, 1992 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री कृशण लाल का जन्म 10 मार्च 1925 को हुआ। वह वर्ष 19941 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए। वर्ष 1958 तथा 1964 में वह पजाब विधान परिशद के लिए चुने गए। वह पजाब के मंत्री भी रहे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक सतत्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

श्री ओ०के० अलगेसन, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री

यह सदन पजाब के भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ओ०के० अलगेसन के 3 जनवरी, 1992 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री ओ०के० अलगेसन का जन्म 6 सितम्बर, 1911 को हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गए। वह 1946-50 के दौरान सविधान सभा के तथा 1950-52 में अस्थाई संसद के सदस्य रहे। वह वर्ष 1952-57 में लोक सभा के सदस्य तथा केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में उप मंत्री रहे। वह 1962-67 तथा 1971-79 में पुनः लोक सभा के सदस्य बने। वह 1962-66 में

केन्द्रीय राज्य मंत्री रहे तथा उन्होंने तमिलनाडू में हुए हिन्दी विरोधी आन्दोलन के विरोध में अपना त्याग पत्र दे दिया। वह 1968-71 में इथोपिया में राजदूत रहे।

उनके निधन से देश में एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक सतत्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ए० सेनापति गाऊडर, संसद सदस्य

यह सदन संसद सदस्य श्री ए० सेनापति गाऊडर के 25 फरवरी, 1992 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री ए० सेनापति गाऊडर का जन्म 9 नवम्बर, 1916 को तमिलनाडू के पेरियर जिला में हुआ। वह 1938 से इंडियन नेशनल कांग्रेस से सम्बद्ध रहे। उन्होंने वर्ष 1952 से 1971 तक राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह वर्ष 1980 में पलानी निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए लगातार चार बार चुने गए। उन्होंने पलानी के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया।

उनके निधन से देश में एक एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक

सतत्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

श्री कुन्दल लाल आहूजा, सयुक्त पजाब विधान परिशद के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन सयुक्त पजाब विधान परिशद के भूतपूर्व सदस्य श्री कुन्दल लाल आहूजा के 8 फरवरी, 1992 को हुए दुखत निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री कुन्दल लाल आहूजा का जन्म 16 अक्टूबर 1908 को हुआ। वह वर्ष 1958, 1961, 1962 तथा 1968 में पजाब विधान परिशद के लिये चुने गए। वह विभिन्न बोर्डा, सामाजिक तथा धर्मार्थ सस्थाओ के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे। एकएक अनुभवी सांसद की सेवाओ से वचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक सतत्त परिवार के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

श्री बंसी लाल चौहान, दिल्ली महानगर परिशद के पूर्व कार्यकारी पार्शद

यह सदन दिल्ली महानगर परिशद के पूर्व कार्यकारी पार्शद श्री बंसी लाल चौहान के 17 जनवरी, 1992 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री बसी लाल चौहान का जन्म अप्रैल, 1916 में हुआ। उन्होंने 1936 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से सार्वजनिक जीवन आरम्भ किया। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम से सक्रिय भाग लिया। वह 1951-56 में दिल्ली नगरपालिका तथा वर्ष 1962 में नगर निगम के सदस्य रहे। वह 1967, 1972, व 1983 में दिल्ली महानगर परिषद के सदस्य चुने गए। वह दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्श्व भी रहे। उन्होंने साम्प्रदायिकता का विरोध किया तथा श्रमिकों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

उनके निधन से देश एक एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाक सतत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री एम0एल0 वर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव

यह सदन मुख्य मंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव, श्री एम0एल0 वर्मा की पहली फरवरी, 1992 को हुई निर्मम हत्या पर गहरा भाक प्रकट करता है।

श्री एम0एल0 वर्मा का जन्म 4 जुलाई, 1951 को हुआ। वह जनवरी, 1976 में हरियाणा सिविल सेवा में शामिल हुए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया तथा वर्ष 1986 में वह मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव भी रहे। वह 1987-88 के केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री के तथा 1988-90 में केन्द्रीय कृषि मंत्री के निजी

सचिव रहे। वह 1991 में आई0ए0ए0 के लिए पदोन्नत हुए तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के पद को सु गोभित किया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाोक सतत्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

अन्य

वह सदन हाल ही में नरवाना के समीप रेल बम विस्फोट में मारे गए निर्दोश लोगों तथा बराडा के समीप आतकवादीयों का बहादुरी से पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों की हत्या पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

श्री कदीदल मंजप्पा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री पहले मैसूर (कर्नाटक)

यह सदन तत्काल मैसूर यानी कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कदीदल मजप्पा के 8 मार्च, 1992 को हुए दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है। श्री मजप्पा का जन्म 1910 में हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे 1940 में 1944 तक तत्कालीन मैसूर प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे। 1945 से 1949

तक मैसूर विधान परिशद के सदस्य रहे तथा 1950 से 1966 तक मैसूर विधान सभा के सदस्य भी रहे। वे 1956 में तत्कालीन मैसूर के मुख्यमंत्री थे। तत्पश्चात् वे राजस्व मंत्री भी रहे। उनके निधन से यह देश एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत नेता के भाग्यसतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

प्रौ० सम्पत सिंह (भट्टू कला): स्पीकर सर, सदन के नेता ने जो भाग्यसतप्त प्रस्ताव इस सदन में रखा है, उसका मैं अपनी व अपनी पार्टी की ओर से असर्थन करता हूँ। स्पीकर सर, पिछली बार जब विधानसभा का सत्रान बैठना था, उस समय से लेकर आज तक बहुत से महानुभाव हमारे बीच में से चले गये हैं। ऐसे लोग जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है, चाहे वे स्वातन्त्रता संग्राम में सक्रिय रहे हों, चाहे वे विधान सभा व विधान परिशद के सदस्य रहे हों, आज हमारे बीच में नहीं रहें। कई मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राज्यसभा व लोक सभा के सदस्य भी रहे हैं। उनका इस समय में हमारे बीच में से उठ जाना हमारे लिये बड़ा दुःखदायी है। उनके चले जाने से हमें बड़ा ही नुकसान हुआ है।

स्पीकर सर, श्री सतपाल मितल, पहले पंजाब विधान परिशद के सदस्य रहे, बाद में पंजाब में उपमंत्री भी रहे और दो तीन बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गये। वे ऐसे वक्त में हमारे बीच में से उठ गये जिस वक्त पंजाब के अन्दर उन जैसे अनुभवी नेता की जरूरत थी ताकि वे लोगों की सद्बुद्धि प्रदान करते और

साम्प्रदायिकता के माहौल को ठीक करते। उनके आज इस दुनिया से चले जाने से हमें बहुत ही क्षति हुई है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को भान्ति दे।

इसी तरह से श्री कृष्ण लाल, जो कि पंजाब के अन्दर मंत्री थे, दो बार पंजाब विधान परिषद के लिये चुने गये। वे पंजाब की राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। वे एक योग्य प्रशासक भी थे उनके निधन से आज हम एक योग्य प्रशासक तथा एक अनुभव विधायक की सेवाओं से पूरी तरह से वंचित रह गये हैं।

श्री ओ०वी० अलगेसन, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में बड़ा चढ़ाकर भाग लिया इन्हीं लोगों की कुरबानियों की वजह से, इन्हीं लोगों की देशभक्ति से ही आज हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है। वे 1946-50 के दौरान संविधान सभा के सदस्य रहे। दो वर्ष तक अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। कई वर्षों तक लोकसभा के भी सदस्य रहे। ये बड़ी महान पुरुष थे जिन्होंने तमिलनाडू में हुए हिन्दी विरोधी आंदोलन के विरोधी में मंत्री मण्डल से आना त्यागपत्र दे दिया था। वे इथोपिया से राजदूत भी रहे। उनके निधन से हमें बड़ा दुःख है। इसी तरह से ए० सेनापति गाऊडर, संसद सदस्य 1936 से इंडियन नेशनल कांग्रेस से सम्बद्ध रहे और बाद में कई वर्षों तक राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। वे लोकसभा के एक बार नहीं, पलानी क्षेत्र से चार बार सदस्य चुने गये। वे पिछड़े क्षेत्रों के

विकास के लिए कार्य करते रहे। ऐसे अनुभवी महानुभाव के चले जाने से हम बड़ी क्षति हुई ।

स्पीकर सर, श्री कुन्दन लाल आहूजा ज्वायट पजाब मे विधान सभा परिशद के सदस्य थे। वे चार बार पजाब विधान सभा के लिये चुने गये। इस तरह के अनुभव आदमी के चले जाने का हमे बहुत दुख है।

श्री बंसी लाल चौहान दिल्ली की राजनीति से बडे सक्रिया रहे। उन्होने स्वतन्त्रता सग्राम मे अपना सक्रिय योगदान दिया। वे 1951-56 मे दिल्ली नगरपालिका व 1962 मे नगरनिगम के सदस्य रहे। 1967,1972 व 1983 मे वे दिल्ली महानगर परिशद के सदस्य चुने गये। उनके कार्यों की जितनी सराहना की जाए, थोडी है। अब वे हमारे बीच मे नही रहे।

स्पीकर साहब श्री एम0एल0 वर्मा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के अतिरिक्त प्रधान सचिव थे, इनसे मेरा निजी वास्ता रहा है। उनकी भुरू की सर्विस हिसार की रही है। वे हिसार मे म्यूनिसिपल कमेटी के ऐडमिनिस्ट्रेटर थे। स्पीकर साहब, इतना बढिया आदमी बाई चांस ही मिलता है। पद और ओहदा तो कई बार आदमी को मिल जाता है लेकिन उन जैस मिलनसार आदमी बहुत कम मिलेगा। हिसार के अन्दर कमेटी मे उनको मिलने वालो की लाईन लगी रहती थी। यह भ नही कि वे राजकीय लोगो से ही सिलते थे। वे अपोजी उन के लोगो की बात

भी बाकायदा दफतर मे बैठ कर सुना करते थे। हम गरीब आदमी उनके सामने अपनी बात कर सकता था मेरे घर मे भी उनका कई बार आना जाना रहा है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी तथा बच्चे जी भगवान को प्यारे हो गए। मेरे ख्याल से इतना बडा जधन्य कांड किसी परिवार के साथ नही हुआ होगा। हर आदमी को इस कांड से बडा दुख हुआ है क्योकि वे एक दम हमारे बीच मे से चले गए। हमने सुना है कि उनको कहा गया था कि आप इस समय मत जाओ कल सुबह चले जाना लेकिन विधाता ने जो भी लिखा है उसको कोई टाल नही सकता। हमने यह भी सुना था कि उन्होने दोपहर 12 बजे के करीब जाना था लेकिन मुख्यमंत्री के साथ डियूटी होने की वजह से उनको काम मे 4-5 घटे फालतू लग गए। वे लेट इसलिए हुए क्योकि उनकी मौत उनको खींच रही थी। स्पीकर साहब, उनके दोनो बच्चे मेरे दोनो बच्चो के हम ऊमर थे और मेरे दोनो बच्चो का नाम गौरव और सौरभ है। मुझे इस हादसे से बहुत आघात पहुचा है।

इसके अलावा स्पीकर साहब, प्रदे 1 मे और भी टैरोरिस्टम एक्टीविटीज हुई है जैसे बरडा और नरवाणा वगैरा की है। कुछ सिरसा मे भी हुई तथा और जगहो पर भी हुई। पिजौर मे भी एक सिपाही मारा गया था। इनकी हमे पुरजोर निन्दा करनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए हमे पूरा इन्तजात करना चाहिए। इसी तरह से श्री कदिलमजप्पा जी के बारे मे जो भाोकप्रस्ताव रखा गया है, मै इसका भी समर्थन करता हू। मै आखिर मे परमपिता

परमात्मा से प्रार्थना करता हू कि वे भाोक सतप्त परिवारो को यह दुख सहन करने की भाक्ति दे ।

श्री बसी लाल (तो ाम): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखे है, मै इनका अनुमोदन करता हू। पिछले सै ान से लेकर इस सै ान के बीच की अवधि मे जो जो महानुभाव हमारे बीच मे से चले गए है मै उन सभी के परिवारो के साथ अपनी सदभावना व्यक्त करता हू लेकिन एक बात मै कहना चाहता हू जब हम यह कहते है कि मिलिटैटस द्वारा मारे गए व्यक्ति के लिए हमे कडोलैंस रेजो यूल ान पास करना चाहिए तो इसमे कोई दो राय नही है कि श्री एम0एल0 वर्मा के साथ साथ कई सरकारी मुलाजिम और भी मारे गए। हमे छोटे बडे मे डिस्क्रिमिने ान नही करना चाहिए, सभी के बारे मे कडोलैंस रेजोल्यू ान पास करना चाहिए। कालका मे एक कास्टेबल मारा गया था, श्री वर्मा के साथ उसका ड्राइवर और गनमैन मारा गया था। इसी तरह से सिरसा और फग्गू मे तीन कास्टेबल और एक डी0एस0पी0 मारे गए थे। इसलिए मै चाहता हू जो सरकारी कर्मचारी मारे गए है उन सब के नाम इसके अन्दर ऐड कर दे। इन भाब्दो के साथ मै इस भाोक प्रस्ताव का अनुमोदन करता हू।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): आदरणीय स्पीकर साहब, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मै उकसा समर्थन करने के लिए खडी हुई हू। श्री सतपाल मितल सयुक्त पजाब मे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी मे होते थे। वे बहुत ही

ईमानदार और नेक इन्सान थे। पजाब प्रदे 1 के राजनैतिक जीवन मे उनका बडा भारी योगदान रहा है। मै उनको निकट से जानती थी। अब जब कि पजाब को उनकी बडी जरूरत थी, ऐसे वक्त मे उनके निधन से सारे दे 1 को और खस करके पजाब को बडा भारी धक्का लगा है। ऐसे समय मे उनके निधन से हमे बडा अफसोस है। इसके अलावा श्री कृष्ण लाल, पजाब के भूतपूर्व मंत्री रहे। दक्षिण भारत मे हिन्दी भाशा के खिलाफ जो आन्दोलन चला उस आन्दोलन के विरोध मे उन्होने अपना इस्तीफा दे दिया था इस तरह से इस्तीफा देना कोई मामूली बात नही है। उनके निधन से हमे बडा अफसोस हुआ है। श्री ए0 सेनातपी गाऊडर, संसद सदस्य उनके निधन से हमे बडा अफसोस हुआ है। इसी तरह से श्री कुन्दल लाल आहूजा, सयुक्त पजाब विधान सभा परिशद के भूतपूर्व सदस्य रहे उनके निधन से हमे बडा अफसोस हुआ है। इस तरह से श्री बंसी लाल चौहान, दिल्ली महानगर परिशद के पूर्व कार्यकारी पार्शद रहे उनके निधन से हमे बडा अफसोस हुआ है। इसी तरह से नरवाना के समीप रेल बम विस्फोट मे जो निर्दोश लोग मारे गए और बागडा के समीप आतकवादियो का बहादुरी से पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों की हत्या पर हमे बडा भारी अफसोस थे उनका और उनके सारे परिवार का आतकवादियों द्वारा कत्लेआम कर देना एक बहुत ही अफसोसजनक हमे बडा अफसोस है। स्पीकर साहब, मै सदन के नेता से प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो लोग आतकवादियो के हाथो मारे गए है उसका अफसोस पत्र तो उनके परिवारो को भेजा जाएगा लेकिन उसके साथ ही सरकार

की तरफ से उनके परिवारो को कुछ न कुछ माली मदद अव य भेजी जानी चाहिए। इन भाब्दो के साथ मे इस भाोक प्रस्ताव का एक बार फिर समर्थन करते हुए अपना स्थान लेती हू। धन्यवाद।

प्रो० राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है मै उसका समर्थना करने के लिए खडा हुआ हू। पिछले सै ान मे हमने हरियाणा के अन्दर आतकावादियो के हाथो मारे गए कुछ लोगो ने कत्लेआम की निन्दा की थी। लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री जी एक बडे वि वा ापात्र और बडे योग्य अधिकारी और उसके सारे परिवार को कत्ल कर दिया गया। आतकवादियो द्वारा श्री वर्मा और उनके सारे परिवार की निर्मम हत्या से तो पूरे हरियाणा प्रदे ा के लोगो के दिलो पर बहुत गहरी चोट लगी है। अध्यक्ष महोदय, आदमी ने इस संसार मे आना हैं और चले जाना है क्योकि ससार मे इन्सान की मौत होना निि चत है लेकिन कुछ फूल खिल कर मुरझाते है, हसरत तो उन गुचो पर है जो बिना खिले मुरझा जाते है। छोटी सी 40 साल की उम्र मे ही श्री एम०एम० वर्मा की पूरी व ावली को समाप्त कर देने पर पूरे हरियाणा प्रदे ा के लोगो ने ऐसा महसूस किया जैसे एक ग्रेस ही खत्म हो गई हो। हरियाणा सरकार इसके लिए बहुत चिन्तित है इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। मै श्री एम०एल० वर्मा के भाोक सतप्त परिवारो के सदस्यो के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना करता हू।

श्री सतपाल मित्तल, ससंद के निधन पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है वे सयुक्त पजाब में पजाब विधान परिषद के सदस्य रहे और 1966-67 में पजाब के उप मंत्री रहे। मैं उनके भाोक सतंप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री कृष्ण लाल, राश्ट्रीय स्वयं सेवक सघ के उत्तरी भारत के बहुत बड़े राज नेता थे। उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों से लेकर उत्तरी भारत में जनसघ और राश्ट्रीय स्वयं सेवक सघ की बड़ी निशठा के साथ प्रचार और प्रसार किया। मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ। श्री एम0एल0 वर्मा के ड्राईवर का नाम भाायद राजेन्द्र सिंह सैनी था और वे रोहतक के रहने वाले थे। उनका भी श्री वर्मा के साथ आतकवादियों ने कत्ल कर दिया था मैं उनके दाह सस्कार में भाामिल हुआ था। श्री वर्मा के साथ जो गनमैन था उसका नाम श्री रघुबीर था और वे नारायणगढ़ के पास एक गांव के रहने वाले थे। उनका भी श्री वर्मा के साथ ही आतकवादियों ने कत्ल कर दिया था इसी तरह से पिजौर में भी आतकावादियों ने एक पुलिस कास्टेबल का कत्ल कर दिया। नरवाना के पास जो यात्री रेल के अन्दर उग्रवादियों द्वारा मारे गए यानी जिनको भाहीद होना पड़ा उनके नाम भी इस भाोक प्रस्तावों में भाामिल किए जाने चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं इन भाोक प्रस्तावों का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री सुरजीत कुमार धीमान (नारायणगढ): स्पीकर साहब, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की तरफ से इन भोक प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ। श्री सतपाल मित्तल, संसद सदस्य, श्री कृष्ण लाल पजाब के भूतपूर्व मंत्री, श्री ओ०वी० अलगेसन, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री ए० सेनापति गाऊडर, संसद सदस्य, श्री कुन्दल लाल आहूजा, संयुक्त पजाब विधान परिषद के भूतपूर्व सदस्य, श्री एम०एल० वर्मा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के निधन पर है मैं अपनी सवेदना प्रकट करता हूँ। श्री एम०एल० वर्मा के निधन से मुझे बहुत गहरा धक्का लगा है। क्योंकि वे हमारे अम्बाला जिले के थे। मुझे सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है कि उनकी और उनके समस्त परिवार की हत्या मेरी अपनी कास्टिचुएंसी में हुई। जिस समय उनकी हत्या हुई उस समय मैं घर पर मौजूद नहीं था बल्कि बाहर टूर पर गया हुआ था। जब हमें वहाँ पर इस बात की जानकारी मिली तो मुझे बहुत दुख पहुँचा। मैं तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे उनकी आत्मा को भ्रान्ति दे। अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात कहते हुए अपना स्थान लेता हूँ कि जिन लोगों के नाम इस सूची में शामिल हैं उनके प्रति मैं अपनी सवेदना प्रकट करता हूँ।

साथी लहरी सिंह (रादौर, अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, वास्तव में पिछले सैंान से लेकर इस सैंान के बीच में अर्से दौरान कुछ ऐसी विभूतियाँ इस संसार से चली गई हैं जिनका मुझे बहुत दुख है। श्री सतपाल मित्तल जो संसद सदस्य भी रहे

है। उनका इस संसार से चले जाने का मुझे काफी अफसोस है। क्योंकि उन्होंने हिन्दुस्तान में अपनी एक छाप जमाई हुई थी। इस प्रकार से श्री कृष्ण लाल जी के निधन का भी मुझे काफी दुख है। श्री बंसी लाल चौहान भी दिल्ली महानगर परिषद के पूर्व कार्यकारी पार्श्वद रहे हैं। उनके चले जाने का मुझे दुख है। श्री बंसी लाल जी ने अपने जीवन में काफी जन सेवा की थीं। स्पीकर साहब, श्री एम0एल0 वर्मा का भी नाम इन भावों के प्रस्तावों में शामिल किया गया है। मुझ से यह कहे बगैर नहीं रहा जा सकता कि जिस तरह उनकी हत्या हुई है और जिस प्रकार से उनका सारा परिवार खत्म कर दिया गया है। उस बारे में मैं लीडर आफ दी हाउस में निवेदन करूंगा कि उस कांड में जो वर्मा जी के ड्राईवर और गनमैन मारे गए हैं उनके परिवार की तरफ भी सरकार विशेष ध्यान दे। श्री वर्मा जी के जो गनमैन थे उसका नाम रघुबीर था। वह मेरे हल्के गोदान गांव का था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस समय मैं गनमैन श्री रघुबीर का भारीदाह संस्कार के लिए नाराणगढ़ से लेकर आया तो उनके पिता जी अपने बेटे के भारीदाह को देखकर बिल्कुल नहीं रोये बल्कि दाह संस्कार के बार रोये। वहां पर श्री ए0सी0 चौधरी मंत्री जी भी बाद में पहुंच गए थे। दाह संस्कार के बाद उनके पिता जी ने केवल एक बात यह कही कि मुझे अपने लडके के मारे जाने का दुख नहीं है बल्कि मुझे इस बाद का दुख है कि मेरा लडका श्री वर्मा को बचा नहीं पाया। उनका कहना यह था कि मेरा लडका अगर मरते मरते श्री वर्मा जी की जान बचा गया होता

तो मुझे ज्यादा खुशी होती लेकिन दुख इस बात का है कि न तो वह खुद बच पाया और न ही श्री वर्मा जी को बचा पाया। मैं मुख्यमंत्री जी का जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि आज भी ऐसे देश भगत पिता मौजूद है। बराडा कांड में कुछ लोग तो मारे गए लेकिन एक किसान किसी तरह से भाग्यवत् बच गया था। मेरी लीडर आफ दी हाउस से प्रार्थना है कि बम्ब काण्ड में वहाँ पर जो लोग मारे गए उनके नाम भी भोक् प्रस्तावों की सूची में शामिल किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए सरकार कड़े पग उठाये ताकि इन सारी घटनाओं से बचा जा सके।

16.00 बजे।

स्पीकर साहब, इन भावों के साथ यहाँ पर जितने भी भोक् प्रस्ताव रखे गए हैं मैं अपनी तरफ से उन सभी का समर्थन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी के भोक् सतप्त परिवारों को सहारा दे। अन्त में मैं अपने आप को इन सभी के दुख में शामिल करता हूँ तथा परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि वे उन्हें यह उसहनीय दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद।

Mr. Speaker: Hon'ble members, after the adjournment of this House in the month of December 1991 various important personalities have left us.

Shri Sat Paul Mittal was the Senior Vice President of the Punjab Pradesh Congress (1) Committee and was nominated as a member of the P.P.C.C Poll Campaigning Committee set up for the Assembly and Lok Sabha elections in the Punjab State. He was also nominated as a member of the Rajya Sabha twice. He had been Deputy Minister in Punjab. He had a progressive mind and a spirit of patriotism. He was associated with several national and international organisations of parliamentarians and did pioneering work to create awareness about population control, He was a widely travelled man. In his death the country has lost an eminent Social Worker, an able administrator and seasoned legislator.

Shri Krishan Lal was a former Minister of our sister State Punjab. He was a great patriot and devout nationalist. He remained a propagator of R.S.S and later Bhartiya, Jan Sangh. In his death, we have lost an able administrator.

Shri O.V Alagesan was a freedom fighter and remained member of Constituent Assembly and the Provisional Parliament; He was elected to the Lok Sabha and remained Union Deputy Minister and also Minister of State. He was Ambassador to Ethiopia during 1968-71.

Shri. A. Senapathi Gounder remained associated with the Indian National Congress, since 1938. He remained Member of the State Legislative Assembly for about two decades and Member of Lok Sabha for times since 1980. He worked hard for the development of backward areas of his constituency. In his death, the country has lost a seasoned parliamentarian and able administrator.

Shri Kundan Lal Ahuja was former Members of Joint Punjab Legislative Council. He was elected to the Council four times. He was a seasoned Legislator.

Shri Bansi Lal Chauhan was the former Executive Councillor of Metropolitan Council of Delhi and was also a freedom fighter. He remained a Member of Municipal Committee Delhi, Municipal Corporation, Delhi and Metropolitan Council of Delhi. He was opposed to communalism and struggled for the rights of labourers and weaker sections.

Shri. M.L Verma was the Additional Principal Secretary to Chief Minister Haryana. Mr. Verma was assassinated along with his entire family on 1st February 1992. During this short period he had endeared himself to one and all and became an indispensable officer. In his death the State has lost an efficient honest and popular officer.

Shri Kadidal Manjappa former Chief Minister of erstwhile Mysore Karnataka was a freedom fighter and remained a Member of the Constituent Assembly and recent killings of innocent persons in a train blast near Narwan and police killings near Barara.

Hon'ble Member, I pay homage to these departed personalities and will convey the sympathies of this House to the bereaved families. Now I will request the Hon'ble Members to stand and observe silence for two minutes.

(At this stage, the House stood in silence for 2 minutes as a mark of respect to the memory of deceased)

घोशणाएं

(क.) अध्यक्ष द्वारा

(i) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker: Hon'ble Members under Rule 13(1) of the Rules of procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Panel of Charimen.

- (1) Shri Phool Chand Mullana
- (2) Kanwar Ram Pal Singh
- (3) Shri Dhir Pal Singh
- (4) Shri Amar Singh Dhanak

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker: Hon'ble Members I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

- (1) Shri Sumer Chand Bhatt, Deputy Speaker, Ex Officio Chairman.
- (2) Shri Phool Chand Mullana
- (3) Shri Rajinder Singh Bisla
- (4) Shri Amar Singh Dhanak
- (5) Shri Jai Pal Singh

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पे आ करना

(ख) सचिव द्वारा

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए जिलो सम्बन्धी

Mr. Speaker: Now the Secretary will make an announcement.

सचिव सर, मैं उन विधेयको को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च 1991 तथा दिसम्बर, 1991 में हुए सत्र में पारित किये थे तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है। सादर सदर के पटल पर रखता हूँ।

Statement

MARCH SESSION, 1991

1. The Haryana and Punjab Agricultural Universities Haryana Amendment Bill, 1991.

2. The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shriani Bill, 1991.

3. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1991.

December SESSION, 1991

1. The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shriani Bill, 1991.

2. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill 1991.

3. The Haryana Relief of Agricultural Indebtedness (Second Amendment Bill, 1991)

4. The Maharshi Dayanand University Amendment Bill, 1991.

5. The Kurukshetra University Amendment Bill, 1991.

6. The Punjab Gram Panchayat Haryana Amendment Bill, 1991.

7. The Haryana General Sales Tax Second Amendment Bill, 1991.

8. The Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1991.

9. The Faridabad Complex (Regulation and Development) Second Amendment Bill, 1991.

10. The Haryana Legislative Assembly Facilities to Members Amendment Bill, 1991.

**बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पर
मतदान**

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

"The Committee met at 11 a.m on Monday, the 9th March, 1992, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly whilst in Session shall meet on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.00 A.M. and adjourn at 1.00 P.M without question being put.

The Committee also recommends that the House shall adjourn on 17th March, 1992 to meet again on Monday, the 23rd March, 1992 at 9.00 A.M and adjourn at 1.00 P.M. It shall meet on Tuesday, the Wednesday, the 25th March, 1992 it shall meet at 9.00 A.M and adjourn after the conclusion of the business entered on the List of Business for the day.

However, on Monday, the 9th March, 1992 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business from 9th March to 17th March, 1992 and from 23rd March 1992 to 25th March 1992 be transacted by the Sabha as follows:-

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 9th March 1992	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House
	2. Obituary References.
	3. Presentation & adoption of the first Report of the Business

	4. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5. Presentation of Supplementary Estimates (2 nd Instalment) 1991-92 & Reprot of Estimates Committee thereon.
Tuesday the 10 th March, 1992 (9.00 A.M)	1. Quesiton Hour
	2. Discussion on the Governor's Address
Wednesday the 11 th March, 1992 (9.00 A.M)	1. Quesiton Hour
	2. Motion under Rule 121.
	3. Resumption of Discussion on the Governor's Address
Thursday the 12 th March, 1992 (9.00 A.M)	1. Quesiton Hour
	2. Non Official Business
Friday the 13 th March, 1992 (9.00 A.M)	1. Quesiton Hour.
	2. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House, if any

	3. Resumption of discussion of Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.
	4. Discussion and voting on supplementary Estimates 2 nd Instalment 1991-92.
Saturday, the 14 th March 1992	off day
Sunday the 15 th March, 1992	Holiday.
Monday the 16 th March 1992 (9.00 A.M)	1. Questions Hour
	2. Presentation of Budget Estimates for the Year 1992-93.
Tuesday the 17 th March 1992 (9.00 A.M)	1. Questions Hour.
	2. The Haryana Appropriation Bill in respect of the Supplementary Estimates 2 nd Instalment 1991-92
	3. General Discussion on Budget Estimates for the Year 1992-93
Wednesday the 18 th March,	Off day.

1992	
Thursday the 19 th March, 1992	Holiday
Friday the 20 th March, 1992	Off day
Saturday the 21 st March, 1992	Off day
Sunday the 22 th March, 1992	Holiday.
Monday the 23 rd March, 1992 (9.00)	1. Questions Hour
	2. Resumption of general discussion on Budget Estimates for the year 1992-93 and reply by the finance Minister.
Tuesday the 24 th March 1992 (9.00 A.M)	1. Questions Hour
	2. Presentation of the Assembly Committees Reports
	3. Discussion and Voting on Demands for Grants on the Budgets Estimates for the year 1992-93.
Wednesday the 25 th March 1992 (9.00 A.M)	1. Questions Hour

	2. Motion under Rule 15 regarding non stop sitting
	3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine die.
	4. Presentation of Assembly Committees Reports
	5. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 1992-93
	6. Legislatve Business
	7. Any other Business.

Mr. Speaker: Now teh parliamentary Minister Will move the motion that this House agress with the recommendations contained in the First Reports of the Business Advisory Committee.

Irrigation & Power Minister (Shri Shamsheer Singh Surjewala) : Sir. I beg to move

That this House agress with the recommendations contained in the First reort of the Business Advisory Committee With the modification that the Assembly shall meet on Monday the 16th and 23rd March 1992 at 2.00 P.M and adjourn at 6.30 p.m without question being put.

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House agrees with the recommendations contained in the First report of the Business Advisory Committee With the modification that the Assembly shall meet on Monday the 16th and 23rd March 1992 at 2.00 P.M and adjourn at 6.30 p.m without question being put.

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (नारनौद): स्पीकर साहब, आज जो सै न भुरू हुआ है यह बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च तक चलेगा। तो इस रिपोर्ट के अनुसार इस सै न मे दस सीटिंगज बनती है क्योकि इस अर्से मे 5-6 छुट्टियां भी है। पिछले सै न मे जब हमने बिजनै । ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ आपति की थी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बजट सै न महीने तक चलाना हमे कोई आपति नही होगी। स्पीकर साहब, यह बजट सै न है और आपोजी न के मैम्बरो की तादाद भी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके इलावा चूकि पूरे साल के लिए पैसा मजूर हो रहा है। इसलिए हर मैम्बर अपने हल्के के बारे मे सरकार का ध्यान अव य दिलाना चाहता है। सरकार कुछ करे या न करे, यह उसकी मर्जी है। लेकिन हर मैम्बर बताना चाहता है कि इस प्रकार का विकास होना चाहिए। सडको की मुरम्मत होनी चाहिये या नई सडके बनी चाहिये। विधान सभा के हरेक सदस्य की यह इच्छा होती है। कि वह अपनी बातो की और सरकार का ध्यान दिलाये कि मेरी कास्टिचुऐंसी मे ये ये समस्याए है। पिछले सरकार भी बजट सै न की 13-14 सिटिंग्ज किया करती थी जबकि उस समय विपक्ष के मैम्बरो की तादाद केवल 5 थी। उस बात का भी ध्यान रखना चाहिये। आज विपक्ष

तकरीबन तकरीबन रूलिंग पार्टी के करीब करीब जा पहुँचा है और आगे और पहुँच जाएगा। मेरी गुजारि । यह है कि इस सै । न मे बहुत से मुद्दे उठने है । चण्डीगढ का मुद्दा, अबौहर फाजिल्का का सुद्दा नहर का मुद्दा और इसके इलावा मिलीटैसी का मुद्दा है । आज हरियाणा मे एक अजीब सी परिस्थिति हो गई है । जबकि इनको एक मत से स्टैड लेना चाहिये । आज कई मत पाए जा रहे है ।

श्री भाम ार सिंह सुरजेवाला: आपको पूरा मौका मिलेगा । इनते उतावले क्यो हो रहे हो? यह तो कमेटी की रिपोर्ट आयी है इस पर डिस्क ान करने की कया जरूरत है ।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: यह तो आपने बात ठीक कही है लेकिन ऐसी बाते तो आप उठाते हो । जब आप कोई इ ू उठा देते हो तो लडना हमे पडता है । यदि किसी बात पर चर्चा न भी हो तो भी आप उसको उछाल देते हो । फिर आप कहेंगे कि यह अन्दरूनी मामला है । स्पीकर साहब, बडे मसले है । मिलिटैटस ने पिछले दिसम्बर के सै ान के बाद दिल को दहला देने वाली घटनाए की है । 20 दिसम्बर को हुए सै ान के बाद हम आज बैठक कर रहे है । इस दौरान इस बारे मे बहुत सी घटनाए घट चुकी है और वे भी दिल को दहला देने वाली घटनाए घट चुकी है हम समझते थे कि 20 दिसम्बर के बाद सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे इस तरह की घटना का रैपीटी ान हरियाणा प्रान्त मे न हो सके । इसलिये मेरा इस बारे मे कहना यह है कि बहुत ही

वर्निंग टौपिक्स है जिनसे हरियाणा प्रान्त को दो चार होना पड रहा है। उन वर्निंग टौपिक्स के ऊपर खुले मन से बोलने की इजाजत मैम्बर्ज को दी जानी चाहिये। इसके लिए टाइम बढाया जाये। मेरा सुझाव तो यह है कि कम से कम दोगुना टाईम तो होना चाहिये। 10 सिटिगज की बजाये 20 सिटिगज होनी चाहिये ताकि पूरे विस्तार के साथ इस अपने प्रान्त की समस्याओ और अपने हल्के की समस्याओ की तरफ सरकार का ध्यान खीच सके।

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कला): स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट आयी है। मै खुद इस कमेटी का मैम्बर हू लेकिन मेरी कार बीमार होने की वजह से मै समय पर नहीं पहुच पाया। (व्यवधान व भाोर) एक तो यहा चण्डीगढ मे पडी थी और दूसरी हिसार वर्क ाप मे पडी थी। सरकार कार की एन्टार्ईटलमैट तो मेरी है लेकिन उसके बारे मे बात मै अलग से बताऊगा। व्यवधान स्पीकर साहब, अभी जो रिपोर्ट पर आई है उसके बारे मे मुझे खेद के साथ यह कहना पडता है कि यह बहुत ही अल्पावधि का सै ान हो रहा है। 10 सिटिगज ही हो रही है। डेटस के हिसाब से यह तो तीन हफते तक यानि 25 तारीख तक सै ान चलेगा। इस बारे मे मुख्यमंत्री महोदय का एक ब्यान भी आया था कि तीन हफते तक इस सै ान को चलायेगे। लेकिन जैसे वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि कम से कम 20 सिटिगज होनी चाहिए। मै भी यह कहना चाहता हू कि अगर 20 का आकडा ठीक नहीं बैठता हो तो 20 कर दो। अगर ऐसा कर दे

तो बहुत बढ़िया रहेगा। जहा तक गवर्नर एड्रैस का ताल्लुक है। इस गवर्नर एड्रैस मे सारी स्टेट मे जो कुछ हो रहा है और कुछ आगे सरकार करने जा रही है। ऐसी सारी बाते उसके अन्दर आती है। उन चीजो पर लम्बी बहस होती है। ऐसी बाते जो है नही कि हमारी मैम्बरज ही न हो। विघन मैम्बरजिप का जहा तक ताल्लुक है 1988 के फर्स्ट बजट सै इन मे हमारी सरकार थी और उस समय केवल 5 भाई आपोजी इन के थे। उन मे से भी दो तीन आते नही थे। कैप्टन अजय सिंह इनके साथ थे। उसके बावजूद सोलह सिटिगज हुई थी। स्पीकर साहब, उस समय कोई अपोजी इन है और जैसा कि श्री वीरेन्द्र सिंह ने कहा अपोजी इन की सख्या बढ़ती ही जा रही है सरकार के मंत्री भी और सरकार के एम0एल0एज0 भी इस बार मे और सभी साथी कुछ न कुछ कहना चाहते है। सभी सदस्य विकास कार्यों के बारे मे और अपने अपने हल्को के बारे मे जिकर करना चाहते है। जब हम अपने हल्को मे जाते है तो वहा पर लोग कहते है कि फला समस्या के बारे मे हाउस मे जिकर करना है। स्पीकर साहब, जब टाईम ही नही होगा तो फिर सदस्य कैसे अपनी समस्याओ के बारे मे जिकर कर सकेगे।

स्पीकर साहब, जहा तक बजट का सम्बन्ध है उसके लिए तो समय बहुत ही अल्प कर दिया है। पहले दिन बजट पे आ होगा। उस दिन तो उस पर कुछ नही बोला जाएगा। दूसरे दिन

बहस होगी और तीसरे दिन वित्त मंत्री रिप्लाइ देगे। इस तरह से एक दिन बजट पर बहस का मिला क्योंकि तीसरे दिन तो वित्त मंत्री ही जवाब देगे। (व्यवधान व भाोर) मैं तो यही कह रहा हू कि एक दिन बजट पे ा होगा, दूसरे दिन उस पर बहस होगी और तीसरे दिन रिप्लाइ दिया जाएगा। (व्यवधान व भाोर) आप इसमें ग्राटस, सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेटस और ऐप्रोप्रिए ान बिल न जोडे। बजट पर तो बहस के लिए केवल एक दिन ही मिल रहा है। स्पीकर साहब, आप स्वय देख सकते है कि डिस्क ान के लिए केवल एक दिन रखा है। एक दिन रिप्लाइ के लिए दिया है और एक दिन बजट पे ा करने के लिए दिया है। (व्यवधान व भाोर) स्पीकर साहब, बजट पर डिस्क ान के लिए आप पाच दिन रख ले। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार पर अपना असर डाले और सरकार को प्रभावित करके बजट पर डिस्क ान के लिए पांच दिन का समय रख ले तो अच्छी बात है। we will be thankul to you Speaker Sir. सै ान को पहले करने मे हम कोई एतराज नही है। नौ बजे करने मे हमे कोई एतराज नही है। स्पीकर साहब, इन्होने एक साथी पर तो हाथ फेर दिया और दूसरे की सीट बदल दी। स्पीकर साहब, ये बजट को इतनी जल्दी पास करवा रहे है इसके पीछे क्या बात है। आप अपना असर सरकार पर डाले। स्पीकर साहब, सरकार 23 तारीख को भी सै ान कर रही है। उस दिन भाहीदी दिवस है। उस दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु, और सुखदेव का भाहीदी दिवस है और हो सकता है कि उस दिन गजेटिड होलिडे भी हो। उस दिन सिटिंग नही करनी चाहिए। हम

उन भाहीदो का मान सम्मान करना चाहिए। स्पीकर साहब, एक दिन सैान न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर साहब, ये किसी बात से चिन्तित हो रहे हैं कि जल्दी सैान खत्म कर रहे हैं। स्पीकर साहब, हो सकता है कि दिल्ली से कोई इगारा हो। टैरेटरी का झगडा है पानी का झगडा है, और कुछ मंत्री कुछ अलग बात कह रहे हैं। माहौल अनिश्चित है। स्पीकर साहब, जब तक सारी बातें क्लियर नहीं होगी और पूरी तरह से डिस्कान नहीं होगा और सरकार उसका जवाब नहीं देगी तो सारी बातें कहने का क्या फायदा है। दस दिन का सैान रखकर ठीक नहीं किया जा रहा है। मैंने अखबारों में तीन हफ्ते का सैान हो रहा है। यहा पढा था और यह पढकर बहुत खुशी हुई थी लेकिन यहा पर तो केवल दस दिन का ही सैान हो रहा है। स्पीकर साहब, बीस का आकडा यदि ठीक न बैठे तो आप इक्कीस दिन का सैान कर दे यही ठीक रहेगा।

चौधरी बसी लाल तो गाम: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में यह बात की थी कि 16 तारीख से पजाब का सैान शुरू हो रहा है। इसलिए उनके साथ हमारा टाइम क्लैान नहीं करना चाहिए। उस समय स्पीकर साहब, इस हफ्ते नौ बजे रखा है। नौ बजे बहुत जल्दी है। इतने बजे मैम्बर्ज को तैयार होने में दिक्कत आती है। मेरा कहना यह है कि इस हफ्ते तो 9.30 बजे को तैयार होने में दिक्कत आती है।

मेरा कहना यह है कि इस हफते तो 9.30 बजे सै ान रख ले और सोलह तारीख से 9 बजे रख ले तो हम कोई एतराज नहीं है ।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमे इसमे कोई एतराज नहीं है । नौ बजे का समय इसलिए रखा था ताकि मैम्बर्ज को ज्यादा टाईम बोलने के लिए मिल जाए ।

एक आवाज: नौ बजे तक केवल चार ही घटे होते है और साढे नौ बजे से डेढ बजे तक भी चार घटे होते है । इसलिए ज्यादा समय का सवाल ही नहीं है ।

श्री बसी लाल: स्पीकर साहब, सुबह नौ बजे तैयार होने मे मुि कल होगी । आप चाहे तो सोलह तारीख से नौ बजे रख ले ।

चौधरी भजन लाल: कुछ लोग तो सुबह छ बजे ही तैयार हो जातें है । हो सकता है आपको कुछ दिक्कत होती हो । आपकी दिक्कत को देखते हुए इस हफते यानि 10 से 13 तारीख तक सै ान साढे नौ बजे तक करने मे हमे कोई एतराज नहीं ।

प्रो० राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, पिछले सै ान मे भी यह बात हुई थी और इन्होने उस समय यह कहा था कि हम डैमोक्रेसी बाई डैलीब्रे ाज चलाएगे । यह परम्परा रही भी है और अब की बार हमे यह पूरी उम्मीद थी कि यह सै ान लम्बा चलेगा । स्पीकर साहब, आप भी पुराने पार्लियामैन्टेरियन है । आप भी हमारी बाते से सहमत होंगे कि बजट सै ान तो कम से कम एक महीने

तक होना चाहिये। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, जो कि हमसे छोटा राज्य है वहा पर भी सै। इन 45 दिनों तक चलता है। अब इसी भवन में हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब का बजट सै। इन भी होने जा रहा है। एक छत के नीचे एक ही पार्टी की दो सरकारें होंगी। वहा का सै। इन भी लम्बा चलेगा। हमें पानी राजधानी व हिन्दी पंजाबी भाषी क्षेत्रों के मसले पर खुलकर बोलना है। लेकिन जब मैंने आज बी०ए०सी० की रिपोर्ट देखी तो बड़ी सप्लीमैन्ट्री ऐस्टीमेट्स भी आएंगी। गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस होगी और बजट पर भी बहस होगी। हरियाणा प्रदेश के अन्दर उग्रवाद की जो समस्याएँ हैं उन सब पर डिबेट होगी। यह सारा काम कैसे इतना थोड़ी सिटिंग्स में खत्म हो पाएगा? कैसे हम लोगों की भावनाओं को यह सदन के सरकार के सम्मुख रख सकेंगे? गवर्नर ऐड्रेस पर डिबेट के तुरन्त बाद सी०एम० साहब इतने हैं कि पानी का मसला छोड़ो चण्डीगढ़ का मसला उठाओ इस तरह की और भी कई बातें यहा पर चर्चा का विषय होंगी। आप तो स्पीकर साहब, अच्छी तरह सँ जानते हैं कि आज हरियाणा प्रान्त के अन्दर कोई अधिकारी सुरक्षित नहीं है। खेतों में किसान सुरक्षित नहीं है। कोई कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो समस्त हरियाणा असुरक्षित महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ दोनों प्रान्तों तो सरकारें अपने अपने निजी स्वार्थों के पीछे भाग रही हैं। गरीब जनता की किसी को कोई परवाह नहीं है। तो हम इस प्रकार के कई मसले इस सदन में रखना चाहते हैं और उन पर चर्चा करना चाहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि

आप ही इस सरकार पर जोर डले कि इस बजट सै ान की सिटिंग्ज को बढाए और कम से कम 20 सिटिंग्ज इस बजट सै ान की होनी चाहिये ताकि हम अपने विचारो को खुल कर इस सदन के सम्मुख रख सके। हरियाणा की जनता की तकलीफो को आपके द्वारा इस सदन मे रख सके और यह तभी सम्भव हो सकता है जब इस सै ान की अवधिया कम से कम 20 दिनो की रखी जाए। मुझे पूर्ण आ ा है कि सरकार हमारे इस सुझाव का अव य मानेगी। धन्यवाद।

राजस्व मंत्री (चौधरी वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान मे मैने यही मुददा इस हाउस मे उठाया था कि सै ान का समय प्रात 9 बजे से बाद दोपहर डेढ बजे तक का होना चाहिये ताकि हमे यहा पर बोलने के लिए आधा घन्टा और ज्यादा मिल जाए। इस बात से अपनी राय जाहिर की थी और माना भी था कि ठीक है लेकिन आज जो बी0ए0सी0 की रिपोर्ट भाई है उसमे 1 बजे तक का ही समय रखा गया है अत मेरा निवेदन है कि इस बारे मे अव य ही दोबारा विचार कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहब, यह जो बी0ए0सी0 ने अपना प्रोग्राम दिया है मै उसके खिलाफ बोलने के लिए खडी हुई हू। भाई सम्पत सिंह जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा है कि बजट सै ान के लिए बहुत थोडा समय रखा गया है। हमने यहा हाउस मे बहुत से मुददो पर अपने अपने विचार रखने है। इस

समय 40-45 बोर्डज और करपोरे इनज हरियाणा के अन्दर है जिनकी रिपोर्ट भी सबमिट होनी है। उन रिपोर्टो पर भी हमने अपने विचार रखने है। हम सब जानते है कि इन बोर्डो और करपोरे इनज मे जो फिजूल का खर्चा हो रहा है वह बिना किसी काम के ही हो रहा है। बडे बडे घपले इन मे हो रहे है इन बोर्डो व कारपोरे इनज की रिपोर्ट पर पिछली बार भी समय के अभाव के कारण, भागदौड के कारण कोई डिस्क इन नही हो सकी है और न ही इस सै इन मे भी थोडी सिटिंगज के कारण हम अपने विचार खुल कर रख सकेगे। स्पीकर साहब, आप ही बताए कि कैसे हम इनते थोडे समय के अन्दर उन रिपोर्टो पर व सरकार के काम काज पर रोानी डाल सकेगे? इसके लिये बाकायदा समय दिया जाना चाहिये। इसलिए इस सै इन के समय को और बढ़ाया जाना चाहिये ताकि हम सरकार की गलतियों के पुलदे को यहा हाउस के सामने खोल सके। इस सदन के सामने सरकार की कार गुजारियों को नंगा कर सके और यह बता सके कि ये जो हरियाणा के अन्दर इतने बोर्डज व कारपोरे इनज बना रखे है वे क्या क्या काम करते है। किस तरह से हरियाणा की गरीब जनता के पैसे की बर्बाद किया जा रहा है हमे बोलने क लिये ज्यादा समय चाहिये ताकि हम सरकार के इन बोर्डो का पर्दा फाा कर सके कि कहा कहा पर घपलेबाजी हुई है ताकि सरकार के गलत कामो का सरकार को और हरियाणा की जनता को पता लग सके। बडी हैरानी की बात है कि इस बजट सै इन मे केवल 10 सिटिंगज ही रखी गई है स्पीकर साहब, मुझे याद है कि हमारे पडौस राज्य

पजांब मे दो दो महीने तक सै इन चलता था इसलिये मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना कि कम से कम इस बजट सै इन की 20 सिटिगज तो होनी चाहिए। यह सरकार इतने थोडे समय से अपने सारे काम काज को निपटा कर जल्दी मे भागना चाहती है। यह तो सरासर अनुचित है। लोगो के साथ इस सरकार द्वारा जो जो ज्यादतियो हो रही है अगर उनको हम यहा पर डिसक्स भी न कर सके। तो यह सरासर हरियाणा की जनता के साथ खिलवाड है। इस छोटे के सै इन के कारण, हमे अपनी पूरी बाते रखने का समय भी नही दिया जा रहा है यह बडे ही दुख की बात हैं

पिछली बार भी इन रिपोर्टस पर डिस्क इन नही हो सकी। एक आध रिपोर्ट पर मैने बोलने की कोर्िा की लेकिन बाकी रिपोर्टस पर नही बोल सकी। इसलिए मै चाहता हू कि सै इन का समय ज्यादा बढ़ाया जाए। यह समय तो बहुत थोडा है इसमे हम लोगो की दिक्कतो के बारे मे नही बोल सकेगे। हम लोग ऐडमिनिस्ट्रे इन के बारे मे बोलना चाहते है। जिला हैउ क्वार्टर्ज पर दफतरो मे आपके अफसर बैठते नही है और काम नही करते है इन सब बातो क लिए हम बोलना चाहते है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हाउस की सिटिगज ज्यादा बढ़नी चाहिए।

सिचाई तथा बिजली मंत्री श्री भामे ार सिंह सुरजेवाला:
अध्यक्ष महोदय अपोजी इन के लीडर तथा दूसरे ग्रुपस के लीडर्ज ने बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की है। सब ने एक ही बात कही कि यह थोडा समय है इससे दुगना

समय होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब पहले उनको पार्टी राज सत्ता में थी तो इन्होंने लम्बे लम्बे सै इन चलाए और डिस्क इन का पूरा मौका दिया था। दरअसल अध्यक्ष महोदय, आज जो सुबह 11 बजे आपकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी उसमें अपोजी इन के सीनियर मोसट लीडर चौधरी बंसी लाल जी मौजूद थे और यह रिपोर्ट सर्व सम्मत है। मुझे अफसोस है कि लीडर आफ दि अपोजी इन उस मीटिंग में नहीं आए। अगर इनको उत्सुकता थी तो वे कम से कम उस मीटिंग में आते। चौधरी बंसी लाल जी उस मीटिंग में नहीं आए। अगर इनको उत्सुकता थी तो वे कम से कम उस मीटिंग में आते। चौधरी बंसी लाल जी उस मीटिंग में मौजूद थे और मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुनने के बाद एक दिन का सै इन बढ़ाना मान लिया। जहा तक इस बात का ताल्लुक है कि सै इन के लिए समय थोड़ा रखा गया है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इस बार तो दो दिन गवर्नर ऐड्रेस पर बहसे के लिए रखे गए हैं उसके बाद 16 तारीख को बजट पै । किया जाएगा और बजट बहस के लिए चार दिन रखे गए हैं अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना है मेरे पास आकडे हैं कि बजट पर चार दिन बहस कभी भी नहीं हुई । मैं आपको आकडे पढ कर सुनाता हूँ। 1988 में बजट पर केवल दो दिन बहस हुई और 1989 में भी दो दिन बहस हुई—

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: अभी उन्होंने कनक्लूड नहीं किया है इनको बोलने दे। आप अपना प्वायट आफ आर्डर बाद में कर सकते हैं।

श्री भाम ार सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जब कोई बात इनके खिलाफ जाती है तो ये भारो गुल करना भुरू कर देते हैं। विधान।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि अगर पिछली सरकार ने कोई अच्छी उदाहरण न रखी हो तो क्या यह जरूरी है कि आप उसको फालो करें। आप अच्छी उदाहरण कायम कर सकते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। स्पीकर साहब, हमने एक अच्छी उदाहरण रखी थी। अगर इनमें हिम्मत है तो ये 1988 के बजट से इनकी टोटल सिटिगज बता दें। ये सैक्रेटरी साहब को कह कर रिकार्ड मगवा लें। उस साल हमने 16 सिटिगज की थी। आप रिकार्ड से देख सकते हैं।

श्री भाम ार सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, 1990 में बजट पर दो दिन बहस के लिए रखे गए थे। यह तो उस सरकार का तीन साल का रिकार्ड है जिस सरकार में चौधरी सम्पत सिंह जी शामिल थे। बाकी पिछले सालों के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायट आफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप इनकी नकल करेगे? अगर आप नकली करेगे तो इन्होंने चार साल में 6 मुख्यमंत्री बनाए थे, आप कितने बनाएंगे। हंसी।

श्री भाम गोर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे साथी कह रहे थे कि बजट पर डिस्कशन के लिए टाईम ही नहीं दिया गया है। दरअसल 16 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और 17 तारीख को बजट पर बहस शुरू होने के बाद बहस करने के लिए पांच दिन का समय दे रहे हैं। मैं अपने अपोजिशन के लिए माननीय सदस्यों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इनका जो 14 या 15 सिटिंग्स का सेशन था उस सेशन में लैजिस्लेटिव बिजनेस बहुत ज्यादा था लेकिन इस सेशन में तो लैजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है। इसलिए मैम्बर साहबान को बजट पर डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा टाईम मिलेगा। तो स्पीकर साहब इस मोड में इनको यथा संतोषित पास किया जाए।

वाक आउट

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, 1988 में बजट सेशन में 16 सिटिंग्स हुई थी। यह तो केवल 10 सिटिंग्स ही कर रहे हैं। यदि इन्होंने 10 दिन ही सेशन चलाना है और सिटिंग्स नहीं बढ़ानी हैं तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं। (गोर एवम व्यवधान)।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर इन्होंने सैान की 10 सीटिंग्ज की करनी है और 10 से ज्यादा सीटिंग्ज नहीं बढ़ानी है तो हम भ सदन से वाक आउट करते है। (गोर)

(इस समय जनता पार्टी हरियाणा पार्टी सिवाए श्री औमप्रकाा भार्मा के जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सदस्य सदन के वाक आउट कर गए।)

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पर मतदान

Mr. Speaker: Now, I will put motion as further amended to the vote of the House.

Question is-

That this House agree with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee with the modification that the Assembly shall meet from 10th 13th March 1992 from 9-30 a.m to 1-30. p.m and it shall meet on Monday, the 16th and 23rd March 1992 at 2-00 p.m and adjourn at 6-30 p.m without question being put

The motion was carried

सदन की मेज पर रखे गये पुन रखे गए कागज पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay re-relay papers on the Table of the House.

Irrigation & Power Minister Shri Shamsheer Singh Surjewala): Sir I beg to re- lay on the Table.

1. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R 17/H.A/20/73S-13-B, 25 A and 64/91, dated the 26th March 1991 regarding the Haryana General Sales Tax Third Amendment Rules, 1991 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales.

2. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R 37/H.A/20/73S.64/91, dated the 20th June 1991 regarding the Haryana General Sales Tax Third Amendment Rules, 1991 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

3. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R 72/H.A/20/73/S 64/91, dated the 15th November 1991 regarding the Haryana General Sales Tax Third Amendment Rules, 1991 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales. Tax Act, 1973.

4. The General Administration Department General Services Notification No. G.S.R 12/Const./Art. 320/Amd 1st/1991 dated the 5th March 1991 regarding the Haryana Public Service Commission Limitation of Functions First Amendment Regulation, 1991 as required under Article 320(5) of the constitution of India.

5. The General Administration Department General Services Notification No. G.S.R 27/Const./Art. 320/Amd 2nd/1991 dated the 2nd May 1991 regarding the Haryana Public Service Commission Limitation of Functions First Amendment

Regulation, 1991 as required under Article 320(5) of the constitution of India.

6. The General Administration Department General Services Notification No. G.S.R 28/Const./Art. 320/Amd 3rd/1991 dated the 10th May 1991 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Regulation, 1991 as required under Article 320(5) of the constitution of India.

7. The General Administration Department General Services Notification No. G.S.R 62/Const./Art. 320/Amd 4th/1991 dated the 25th September 1991 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Regulation, 1991 as required under Article 320(5) of the constitution of India.

8. The General Administration Department General Services Notification No. G.S.R 71/Const./Art. 320/Amd (5)/1991 dated the 12th November, 1991 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Regulation, 1991 as required under Article 320(5) of the constitution of India.

9. The General Administration Department General Services Notification No. G.S.R 55/H.A/9/79/S. 8/ 1991 dated the 23re August, 1991 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Facilities to Members First Amendment Rules, 1991 as required under Section 8(3) of the Haryana Legislative Assemble Facilities to Members Act, 1979.

Sir I beg to lan the table-

10. The General Administration Department Notification No. G.C.R 3/Const/Art/ 320/92 dated the 10th January 1992 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Regulation, 1992 as required under Article 320(5) of the constituttion of India.

11. The General Administration Department General Serives General Services Notification No. G.C.R 5/Const/Art/ 320/92 dated the 13th January 1992 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Regulation, 1992 as required under Article 320(5) of the constituttion of India.

12. The General Administration Department General Serives General Services Notification No. G.C.R 6/Const/Art/ 320/92 dated the 13th January 1992 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Regulation, 1992 as required under Article 320(5) of the constituttion of India.

13. The General Administration Department General Serives General Services Notification No. G.C.R 7/Const/Art/ 320/92 dated the 13th January 1992 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First Amedment Regulation, 1992 as required under Article 320(5) of the constituttion of India.

14. The General Administration Department General Serives General Services Notification No. G.C.R 8/Const/Art/ 320/92 dated the 13th January 1992 regarding the Haryana Public Service Commission Limitaion of Functions First

Amedment Regulation, 1992 as required under Article 320(5) of the constituttion of India.

15. The General Administration Department General Serives General Services Notification No. G.C.R 77/H.A 20/73/S 64/91 dated the 26th January 1992 regarding the Haryana General Sales Tax Sixth Amendmetn Rules, 1991 as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act 1973.

16. The 14th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the Year 1987-88 as required under Section 619-A (3) of the Companies Act, 1956.

17. The Adminstration Report of the Haryana State Electricity Board for the Year 1989-90 as required uder Section 75(1) of the Electricity Supply Act, 1948.

18. The 24th Annual Statement of Account for the Year 19901-91 of the4 Haryana State Electricity Board as required under Section 69 (5) (a) of the Electricity Supply Act, 1948.

19. The Statement showing the loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1992 as required under section 66 of teh Electricity Supply Act, 1948.

वर्ष 1991-92 के सप्लीमैटरी ऐस्टिमेटस (सैकिन्ड इस्टालमैट) पे ा करना

Mr. Speaker: Now the Finace Minister will present the Supplementary Estimates Second Instalment 1991-92.

वित्त मंत्री श्री मार्ग राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं 1991-92 के अनुपुरक अनुमान दूसरी किस्त पे आ करता हूँ।

ऐस्टिमेट्स कमेटी की वर्ष 1991-92 के सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेट्स (सैकिन्ड इन्स्टालमेंट) पे आ करना

Mr. Speaker: Now Shri Om Parkash Beri, Chariman, Committee on Estimates, Will present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary (Estimates Second Instalment) 1991-92.

Chaudhari Om Parkash Beri (Chairman, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1991-92.

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned till 9.30 a.m tomorrow.

16.44 Hrs.

(The Sabhan then adjoruned till 9-30 a.m on Tuesday, the 10th March 1992).